PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

सितम्बर-2019 | अंक-1

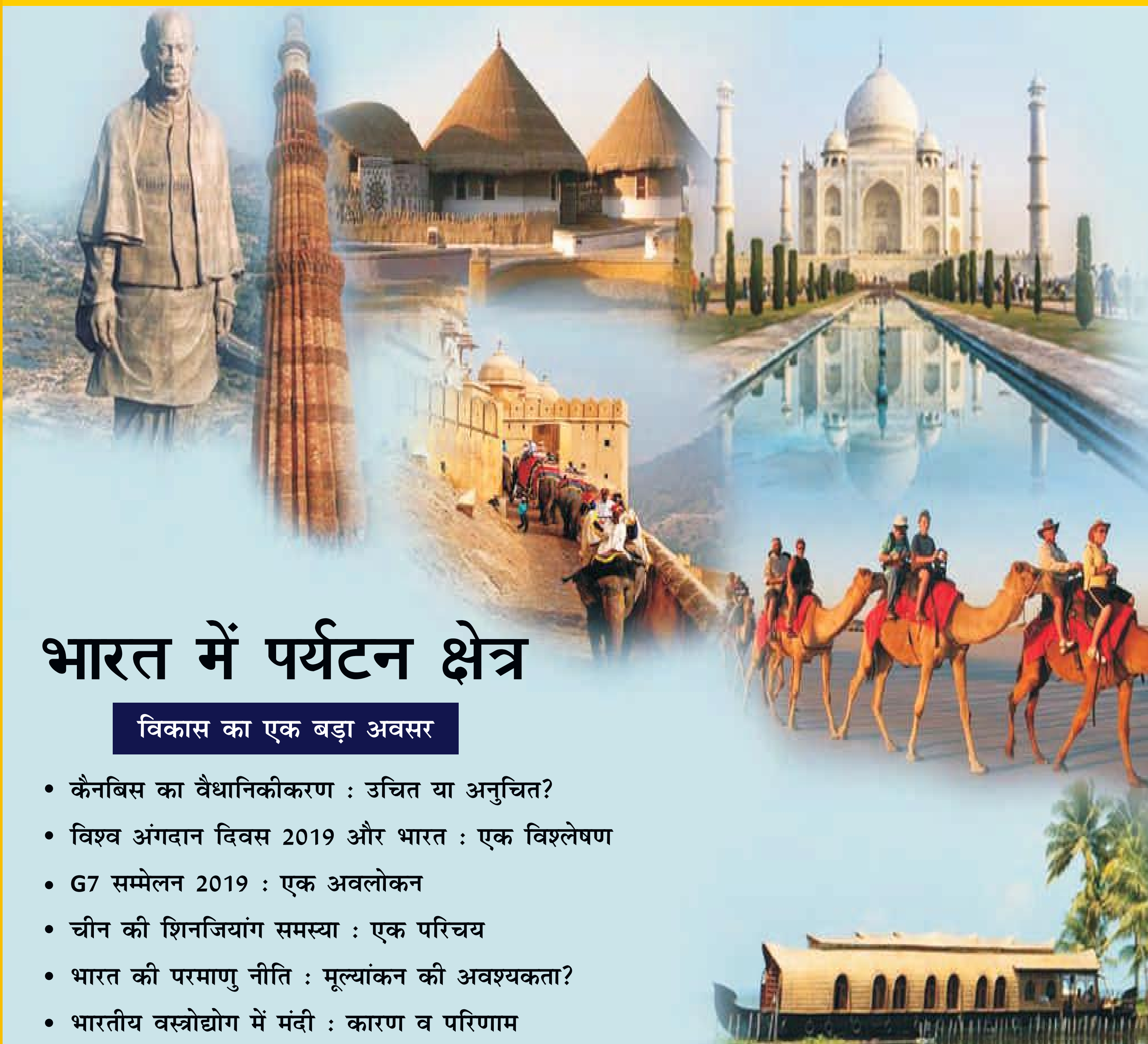

भारत में पर्यटन क्षेत्र

विकास का एक बड़ा अवसर

- कैनबिस का वैधानिकीकरण : उचित या अनुचित?
- विश्व अंगदान दिवस 2019 और भारत : एक विश्लेषण
- G7 सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन
- चीन की शिनजियांग समस्या : एक परिचय
- भारत की परमाणु नीति : मूल्यांकन की अवश्यकता?
- भारतीय वस्त्रोद्योग में मंदी : कारण व परिणाम

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS) TARGET 2020

(ENGLISH & HINDI MEDIUM)

1 SEPTEMBER 2019

This programme is available for all centres

UP-PCS PT TEST SERIES

(ENGLISH & HINDI MEDIUM)

1 SEPTEMBER 2019

This programme is available for all centres

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

सितम्बर-2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत में पर्यटन क्षेत्र : विकास का एक बड़ा अवसर
- कैनबिस का वैधानिकीकरण : उचित या अनुचित?
- विश्व अंगदान दिवस 2019 और भारत : एक विश्लेषण
- G7 सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन
- चीन की शिनजियांग समस्या : एक परिचय
- भारत की परमाणु नीति : मूल्यांकन की अवश्यकता?
- भारतीय वस्त्रोद्योग में मंदी : कारण व परिणाम

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में पर्यटन क्षेत्र : विकास का एक बड़ा अवसर

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ एकदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 19 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों, पर्यटन सचिवों और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और पर्यटन क्षेत्र के विकास एवं संवर्द्धन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श गया।

परिचय

पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। इस मामले में भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर, उसे पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। आज भारत विभिन्न श्रेणी के पर्यटन के लिए जाना जाता है, जैसे कि साहसिक पर्यटन (Adventure tourism) चिकित्सा पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, आदि।

ज्ञातव्य है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और संस्कृति है। ये क्षेत्र अपने ठंड / गर्म रेगिस्तान (लद्दाख / राजस्थान), नदियों (गंगा और ब्रह्मपुत्र), वन (निलिगिरि और उत्तर पूर्व), द्वीपों (अंडमान और निकोबार), पर्वत व पठारों आदि प्राकृतिक विशेषताओं से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही यहाँ के परिदृश्य में पाये जाने वाले व्यापक विविधता और सांस्कृतिक विरासत विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए कई विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

आज भी विश्व के कुछ देशों में (जैसे-श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि) जहाँ हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं। गौरतलब है कि इन धर्मों के प्रवर्त्तक का जन्मस्थली होने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ पवित्र और धर्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिससे दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के पर्यटक काफी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं।

भारत में पर्यटन की वर्तमान स्थिति

वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म कांउसिल (डब्ल्यूटीटीसी), 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले सात वर्षों (2011-2017) के प्रदर्शन पर अवलोकन किया गया था। इस रिपोर्ट के चार मुख्य आधार थे-

- सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन खर्च
- घरेलू पर्यटन खर्च एवं
- पूँजी निवेश

इन चार स्तरों पर अपना स्थान ऊपर उठा पाने की दृष्टि से यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।

वर्ष 2017 में, पर्यटन से भारत ने लगभग 23 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया जिसे 2023 तक 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे जबकि 2014 में यही आँकड़ा 76.8 लाख था। इस लिहाज से भारत में पर्यटन के मोर्चे पर 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो वैश्विक औसत 6.8 प्रतिशत और एशियाई औसत 5.7 प्रतिशत से काफी अधिक है। हालांकि घरेलू पर्यटन की वृद्धि महज 2.3 प्रतिशत रही। सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 7 प्रतिशत रहा।

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन से जुड़े प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक में पिछले चार वर्षों में भारत ने 25 स्थान ऊपर की छलांग लगाई है। इसका श्रेय सरकार के उन प्रयासों को जाता है, जिनके कारण भारत में विदेशी और घरेलू यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

> **घरेलू पर्यटन**
>
> - घरेलू पर्यटन दौरों में वृद्धि दर 2016 में 12.7 प्रतिशत से घटकर 2017 में 2.4 प्रतिशत रह गई है।
> - वर्ष 2016 में 1,615.4 मिलियन की तुलना में 2017 में घरेलू पर्यटकों की कुल संख्या 1652.5 मिलियन थी।
> - शीर्ष 5 गंतव्य राज्य तमिलनाडु (345.1 मिलियन), उत्तर प्रदेश (234 मिलियन), कर्नाटक (180 मिलियन), आंध्र प्रदेश (165.4 मिलियन) और महाराष्ट्र (119.2 मिलियन) जो 2017 में घरेलू पर्यटन दौरे की कुल संख्या के 63.2 प्रतिशत बैठता है।
> - केन्द्रीकृत रूप से संरक्षित प्रवेश टिकट वाले स्मारकों में से घरेलू पर्यटक के लिए 2017-18 में सबसे ज्यादा बार देखे गए स्मारकों में ताज महल, आगरा (5.66 मिलियन) सूर्य मंदिर, कोणार्क (3.22 मिलियन) और लाल किला, दिल्ली (3.04 मिलियन) रहे।

भारत में पर्यटन उद्योग की महत्ता

- वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करता है साथ ही अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। इसके महत्व का अनुमान केवल इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि विश्वभर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1950 के 2.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016 में 123 करोड़ हो गई है।
- स्मरणीय हो कि वर्ष 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 9.4 प्रतिशत थी। वहीं मॉरीशस, सिंगापुर और दुबई जैसी जगहों पर जीडीपी में योगदान के लिहाज से पर्यटन उद्योग दूसरे स्थान पर रहा।
- आँकड़ों की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.27 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिक्की की तरफ से जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल भारत को ट्रैवल और

टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नौकरियाँ मिलने का अनुमान है।

- रिपोर्ट के अनुसार, 2029 तक हर साल इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान है। साल 2019 के अंत तक भारत में इस क्षेत्र का कारोबार बढ़कर 35-40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल 17 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा था।
- गौरतलब है कि ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में आए उछाल के बाद से पिछले पांच-छह सालों में आतिथ्य क्षेत्र (Hospitality Sector) ने भी काफी प्रगति की है।
- पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिए भी रोजगार के तमाम अवसरों की खिड़की खुली है।
- विदित हो कि वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दोगुनी संख्या में महिलाएँ कार्यरत हैं। इस दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र समाज में समानता तथा सामाजिक न्याय को समर्थन देने का भी माध्यम रहा है।
- आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। नतीजतन भारत के लिए नई संभावनाओं व अवसरों का द्वारा खुला है।

सरकारी प्रयास

भारत की विशाल भौगोलिक संरचना तथा समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के कारण यहाँ पर्यटन क्षेत्र के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सुधार हेतु कई योजनाओं को लागू किया गया है। इन प्रयासों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन योजना', विरासत स्थलों के विकास हेतु 'हृदय' योजना तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 'प्रसाद' योजना लाई गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोप-वे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया है।
- विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने पर बल देते हुए सरकार ने 166 देशों के लिए ई-वीजा व्यवस्था की शुरूआत की है। विदित हो कि इसकी अगली कड़ी के रूप में हाल ही में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ई-वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा) शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया गया है ।
- प्रस्तावित योजना के अनुसार, एक नए 5-वर्षीय वीजा योजना की घोषणा की गई और ई-वीजा शुल्क को अल्पकालिक के साथ ही दीर्घकालिक पर्यटक ई-वीजा योजना के विकल्प के साथ रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कुछ समय पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विदेशियों को पहुँच के 24 घंटे के अंदर, विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण करने की बाध्यता को समाप्त किया है।
- पर्यटन मंत्रालय विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों का भी इस प्रकार से विकास कर रहा है कि वे सुगम, सुरक्षित और आकर्षक स्थल बन सकें।
- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 22-24 नवंबर, 2018 को त्रिपुरा के अगरतला में 'अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट' का आयोजन किया। इस आयोजन का खास मकसद नॉर्थ ईस्ट राज्यों में टूरिज्म बढ़ाने से है।
- सरकार ने मुख्य पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचों के विकास और रख-रखाव पर भी बहुत ध्यान दिया है। 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद योजना', दो नई ऐसी योजनाओं की शुरूआत की गई है, जो देश में पर्यटन से जुड़ी आधारभूत अवसंरचना विकसित करेंगी।
- वहीं 'धरोहर गोद लो' योजना के द्वारा किसी विरासत को कौर्पोरेट जगत आदि को गोद दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करके उन्हें इनसे जोड़ना है।
- विदेशों में भारतीय धरोहरों को लोकप्रिय बनाने के लिये 'द हेरिटेज ट्रेल', भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिये 'देखो अपना देश' नाम से पर्यटन पर्व का अनुष्ठान तथा राज्यों के विशेष स्थलों में पर्यटन समारोह 'पर्यटन सभी के लिये' का आयोजन किया गया है। इसके अलावा पर्यटन एवं शासन पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है।
- हाल ही में सरकार द्वारा इस दिशा में अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणपत्र (Incredible India Tourist Facilitator Certification&IITFC) पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- आइआइटीएफसी कार्यक्रम देश के नागरिकों के लिये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है, ताकि देश के नागरिक तेजी से विकसित हो रहे पर्यटन उद्योग का हिस्सा बन सकें। यह एक ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति पर्यटन स्थल, समय और सुविधा आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- इसके अलावा सरकार ने 'अतुल्य भारत' (Incredible India) के नए पोर्टल का हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया। विदित हो कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'अतुल्य भारत' का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है।

अन्य प्रयास

- मौजूदा केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में पहल की है। विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए दिल्ली के लाल किले जैसे स्थलों को निजी क्षेत्रों को लीज पर दिया जा रहा है।
- साल 2020 तक दो करोड़ विदेशी पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, उत्तर प्रदेश के सारनाथ और बिहार के बोधगया जैसे पर्यटन स्थलों को चिह्नित कर वहाँ बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
- देश में पर्यटन, मुख्यतः रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने देशभर में 10 ऐतिहासिक स्मारकों को

आगंतुकों के लिये रात्रि 9 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है।

- गृह मंत्रालय ने कुल 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय किया है जिनमें से 51 उत्तराखंड में, 24 सिक्किम में, 47 हिमाचल प्रदेश में और 15 जम्मू कश्मीर में हैं। इन चोटियों में 7066 मीटर की ऊंचाई वाली दूनागिरी और 8,589 मीटर ऊंची कंजनजंगा भी शामिल हैं।

चुनौतियाँ

भारत सरकार द्वारा पर्यटकों को प्रदान किए जाने वाले उपरोक्त सुविधाओं के बावजूद अच्छी तरह से विकसित पर्यटन प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- बुनियादी ढांचा का अभाव भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना, होटल, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि काफी हद तक भारत में विकसित होने की अवस्था में हैं। इस उदासीनता का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन है। गौरतलब है कि 2017-18 के बजट में सरकार ने पर्यटन जैसे एक बड़े क्षेत्र के लिए केवल 1840 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी एक अन्य समस्या है। बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के पर्यटक सिर्फ इसलिये भारत आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ चारों तरफ गंदगी रहती है।
- पर्यटकों की सुरक्षा विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की, पर्यटन विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा रही है। विदेशी नागरिकों पर विशेष रूप से महिलाओं पर हमले, दूरदराज के देशों के पर्यटकों के स्वागत के लिए भारत की क्षमता पर कुछ सवाल उठाते हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण कराये गए 130 देशों में भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूचकांक 2017 में सुरक्षा पहलुओं के मामले में 114 वें स्थान पर रखा गया था।
- देश के अधिकांश पर्यटन स्थलों तक आज भी गरीब, महिला और बुजुर्गों की पहुंच नहीं है। ऐसा यात्रा की उच्च लागत, खराब कनेक्टिविटी और विभिन्न कारणों के लिए आवश्यक अनुमतियों की एक शृंखला के कारण होता है।
- भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने में वैसी सफलता नहीं मिली है जैसा कि पश्चिम के देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों को मिली है।
- स्वास्थ्य पर्यटन, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, साहसिक पर्यटन में अपार संभावनाओं के होते हुए भी इन क्षेत्रों पर ध्यान कम दिया गया है।
- हालाँकि योग, प्राकृतिक चिकित्सा और साहसिक पर्यटन में निजी क्षेत्र के लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारें इनको एक सूत्र में बाँधकर लाभ नहीं उठा पाई हैं। कुछ काम तो चल रहे हैं लेकिन बड़ी मंद गति से। मसलन 40 हेलिपैड बनना प्रस्तावित हैं किंतु चंद गिने चुने पर ही काम हो पाया है।
- चारधाम यात्रा मार्ग को बीते साल की आपदा के बाद पर्याप्त बजट के बावजूद अभी तक वाहनों के लिए सुविधाजनक नहीं बनाया जा सका है। वही ट्रैकिंग के लिए कई सालों से नए मार्ग नहीं बनाए जा सके हैं आदि।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। वर्तमान में पर्यटन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- सरकार को पर्यटन क्षेत्र के समस्त विकास के लिए समावेशी विकास के मुख्य चालक के रूप में कार्य करने की क्षमता वाले निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के बीच बेहतर जुड़ाव की जरूरत है। इन सबसे बढ़कर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 'यह अच्छा संकेत है कि मौजूदा सरकार ने 2014 में ही इसकी संभावनाएं पहचानकर पांच वर्षों के दौरान इस मोर्चे पर काफी काम किया है, जिसे निरंतर गति देना आवश्यक है।
- अतुल्य भारत' और 'अतिथि देवो भवः' जैसे स्लोगनों को व्यापक योजनाओं के साथ प्रचारित करना चाहिए। इसके तहत बड़ी संख्या में किफायती होटलों का निर्माण, मनोरंजन के लिए भी नये किस्म के विकल्प तैयार किये जाने चाहिए।
- अधिक-से-अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एडवेंचर टूरिज्म (Adventure Tourism) पर भी फोकस किया जाना चाहिए।
- पर्यटन विकास के मामले में देश के कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में पर्यटन के जरिए आर्थिक विकास को गति देने वाले राज्यों से सबक लिया जाना चाहिए।
- पर्यटन के पुराने केंद्र ही राज्यों की आय का माध्यम बने हैं, जबकि अपार संभावनाओं वाले पर्यटन स्थल आज भी पर्यटकों की जानकारी में नहीं हैं। यदि उत्तराखंड का आकलन किया जाए तो पर्यटन के मामले में राज्य ने पिछले दस वर्ष में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। जबकि राज्य में बहुआयामी पर्यटन की संभावनाएँ मौजूद हैं। इसको लेकर योजना बनायी जानी चाहिए।
- उड़ान (UDAN) योजना को ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डों तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र को इसे बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) की सहायता से अपने धरोहर स्थलों के लिये प्रस्ताव बनाते समय यूनेस्को (UNESCO) के मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को चाहिए कि वह हर वर्ष अपने यहाँ पर्यटकों के बढ़ रहे रुझानों को देखते हुए अपने सभी स्थलों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करें और अपने स्तर पर निधि भी जुटाए।
- महानगरों से पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी हमारी पर्यटन संख्या को दोगुना करने और समग्र विकास में योगदान देने में काफी कारगर हो सकती है। ऐसे में इसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही धार्मिक स्थलों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा सरकार को विश्व में भारतीय योग, चिकित्सा, संस्कृति, विचारधारा, दुर्गम क्षेत्रों जैसे-पर्वत, पठार, झील नदियों आदि की सुंदरता से विश्व को अवगत कराना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

2. कैनबिस का वैधानिकीकरण : उचित या अनुचित?

चर्चा का कारण

हाल ही में आयुष विशेषज्ञों ने भांग (Cannabis) के चिकित्सीय प्रयोग को कानूनी मंजूरी देने की वकालत की है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थ भांग को मेडिकल उपयोग के लिए वैध बनाया जाए।

परिचय

मारिजुआना धरती पर सबसे अधिक प्रचलित नशीला पदार्थ होता है। मारिजुआना (भांग-चरस-गांजा-हशीश) का दूसरा नाम कैनबिस भी है। यह कैनबिस सैटाइवा नाम के पौधे से प्राप्त होता है। इसे गांजा के पौधे से भिन्न-भिन्न विधियों (गांजा, चरस और भांग) से बनाया जाता है।

उल्लेखनीय है कि भांग के पौधे के फूल, पत्तियों और तनों को सूखाकर बनने वाला गांजा सबसे ज्यादा प्रचलित है। मादा पौधों से जो रालदार स्राव निकलता है, उसे हाथ से काछकर अथवा अन्य विधियों से संगृहीत किया जाता है। इसे चरस या सुल्फा कहा जाता है। कैनबिस के सभी प्रकार के पौधों की पत्तियों से भांग तैयार की जाती है। कैनबिस सैटाइवा की सूखी पत्तियाँ हशीश कहलाती हैं।

पृष्ठभूमि

कैनबिस (भांग) का उपयोग 2000-1400 ई. पू. से होता आया है। शुरूआती दिनों में अर्थात् इतिहास में इसे पवित्र घास के रूप में जाना जाता था।

एक प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता में कैनबिस के चिकित्सकीय महत्त्व के बारे में बताया गया है। भारतवर्ष में कैनबिस के पौधे सभी जगह पाये जाते हैं। भांग के पौधे 3-8 फुट ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते एकान्तर क्रम में व्यवस्थित होते हैं।

वैश्विक स्थिति

- हाल ही में कैनबिस को वैध बनाने वाला कनाडा उरुग्वे के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। विदित हो कि दिसंबर 2013 में सबसे पहले उरुग्वे ने कैनबिस के उत्पादन, बिक्री और खपत को वैध किया था।
- वर्तमान कानून के तहत कनाडा के लोग अब अपने घर में चार पौधे लगा सकेंगे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए 30 ग्राम सूखी भांग (गांजा) रख सकेंगे।
- इसके अतिरिक्त देश के सभी प्रांतों को गांजे के बिजनेस को नियमित बनाने के लिए लाइसेंस देने की अपनी व्यवस्था कायम करने की भी अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि गांजा उगाना 1923 से पहले कनाडा में एक अपराध माना जाता था, लेकिन वर्ष 2001 से इसे औषधि उपयोग के लिए कानूनी मंजूरी प्राप्त हुई।
- इसी तरह जॉर्जिया और दक्षिण अफ्रीका में अदालत के फैसलों ने व्यक्तिगत खेती और भांग की खपत को वैध बनाने का नेतृत्व किया है, लेकिन कानूनी बिक्री का नहीं।
- जिन देशों ने भांग के चिकित्सीय उपयोग को वैध बनाया है उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, कोलंबिया, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, पेरू, पोलैंड, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (1 नवंबर, 2018 से प्रभावी) शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में, 31 राज्यों और कोलंबिया जिले ने भांग के चिकित्सा उपयोग को वैध बनाया है, लेकिन संघीय स्तर पर, इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए निषिद्ध है।
- नौ अमेरिकी राज्यों, साथ ही वाशिंगटन डीसी में मारिजुआना का मनोरंजक उपयोग कानूनी है।
- हाल ही में इस संदर्भ में थाइलैंड की नेशनल असेंबली द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें गांजा (मारिजुआना) और परंपरागत औषधीय पौधे क्रेटम पर शोध तथा चिकित्सीय उपयोग को कानूनी मान्यता दी गई है। इस नए कानून से गांजे के उत्पादन, आयात और निर्यात में मदद मिली है। बता दें कि किसी एशियाई देश में किसानों को आर्थिक लाभ दिलाने वाली इस तरह की यह पहली कोशिश है।
- इजराइल की संसद नेसेट ने भी गांजा के मेडिकल उपयोग के लिए निर्यात को कानूनी मान्यता प्रदान की है। अभी इस बिल को कैबिनेट तथा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद इजराइल विश्व का ऐसा करने वाला तीसरा देश (नीदरलैंड्स और कनाडा के बाद) बन जायेगा।

भारत की स्थिति

भारत में मादक पदार्थों के संदर्भ में नारकोटिक ड्रग एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) बनाया गया था, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 2014 में संशोधन बिल लाया गया। इसके आधार पर 2015 में नया कानून बनाया गया। यह एक्ट चरस, गांजा या फिर कैनबिस के दूसरे रूपों को पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। हालांकि इस कानून में कैनबिस की परिभाषा में भांग को नहीं जोड़ा गया है।

दरअसल इसकी वजह भांग का धर्म से जुड़ाव होना भी है। भारत में भांग को प्रसाद के रूप में उपभोग करने का चलन रहा है। यही कारण है कि इसकी महत्ता समाज में बनी हुई है। विश्व में भांग के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भांग की फसल उगाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल हेंप एसोसिएशन (Indian Industrial HEMP Association) को लाइसेंस जारी किया है।

संभाव्यता इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। कुछ शर्तों के साथ जहां कानूनी रूप से भांग की खेती की अनुमति दी गई है। भांग का व्यावसायिक कृषिकरण कर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कानूनी रूप से इसकी खेती को मंजूरी दी है। ठीक इसी तरह का एक अन्य फैसला उतरप्रदेश सरकार द्वारा भी लिया गया है। इसका मसौदा तैयार कर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी नियमावली को उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2018 का नाम दिया गया है जिसके अनुसार खेती में चरस अथवा गांजा जैसे किसी मादक पदार्थ का क्रय-विक्रय, भंडारण या उपयोग में लिप्त होने पर सजा का प्रवधान किया गया। वही भांग की फसल का मानक: 0.3 प्रतिशत या उससे कम टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनाल रखा गया है, यदि यह प्रतिशत 0.3 से अधिक होता है तो फसल को आबकारी आयुक्त के निर्देश के अनुसार नष्ट कर दिये जाने का आदेश है।

कैनबिसः बहस का मुद्दा

कैनबिस (मारिजुआना) की वैधता को लेकर आज दुनियाभर में बहस तेज हो गयी है, एक वर्ग विशेष है जो इसकी वैधता को आज के समय की मांग बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग है जो इसकी वैधता के परिणामों को लेकर चिंतित है। इस संदर्भ में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले जरूरी है कि इसकी वैधता या अवैध ता को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए।

पक्ष में तर्क

- भारत में ब्रिटिश शासन के समय कैनबिस को लेकर लाइसेंस और कर की व्यवस्था थी लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान में मादक पदार्थों को लेकर विचार-विमर्श हो रहा था, तब अनुच्छेद-47, 48 को जोड़ा गया, जो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- उस समय तम्बाकू को लेकर भी बहस हुई लेकिन एक बार भी कैनबिस सैटाइवा पौधे का जिक्र नहीं हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माता भी कही न कहीं कैनबिस को गलत नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में कहीं कैनबिस के बारे में नहीं लिखा।
- यह हमारे किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि एक हेक्टेयर भूमि पर भांग की खेती करने से किसान को तीन महीने के भीतर करीब तीन लाख का मुनाफा हो सकता है। भांग की खेती तीन महीने के भीतर तैयार होती है, जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा होती है, वहां दो बार इसकी खेती की जा सकती है।
- कैनबिस (भांग) का महत्व न सिर्फ चिकित्सीय क्षेत्र में है, बल्कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, जहाँ कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- विदित हो कि काफी सारे देश जैसे-अमेरिका व अन्य देश हैं, जहाँ कैनबिस पर प्रतिबंध था, लेकिन अब उसे वैधता दे दी गई है।
- अगर गरीब लोगों को इस प्रकार से आसान और सस्ते में भांग मिलना शुरू हो जाए तो एल्कोहल, सिगरेट का सेवन कम किया जा सकता है। हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ आय के रूप में (मारिजुआना) कैनबिस का प्रयोग होता है।
- चिकित्सीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका महत्त्व काफी बढ़ जाता है। दरअसल कैनबिस में उत्तेजक (Inflammatory) गुण की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि हमारे शरीर के दर्द, बुखार जैसी समस्या को दूर करने में बहुत लाभकारी औषधि हो सकती है। इसके साथ ही इसके उत्तेजक गुण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी राहत दिलाने में काफी फायदेमंद होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि इंसानों और जानवरों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर अध्ययन में यह पाया गया है कि इनका इस्तेमाल मिर्गी, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, सिकल सैल और स्क्लीरोसिस जैसी और उससे संबंधित रोगों के उपचार में भी किया जा सकता है।
- कई महीनों की रिसर्च के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी यह दावा किया गया है कि कैनाबडियल (सीबीडी) का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एडिक्शन पैदा करने वाले कोई कारक नहीं होते हैं।

विपक्ष में तर्क

- कैनबिस के सेवन से बहुत ज्यादा अपराधिक घटनाएँ होती हैं। ऐसे में समाज में जो नशे के लिए कारण दिए जाते हैं, वो सब चीजें इस पर भी लागू होती हैं।,
- कैनबिस को वैधता देने से जो काम चोरी-छिपे होता है वह खुलेआम होने लगेगा जिसका गंभीर परिणाम समाज को हो सकता है।
- गौरतलब है कि ठीक इसी तरह जब सिगरेट के अंदर निकोटिन को लेकर बहस चल रही थी कि इसको वैधता दिया जाए या नहीं तब भी कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी इसके बावजूद इसे वैध किया गया। जिसके बुरे प्रभाव देखने को मिले रहे हैं।
- आज सिगरेट पीने से इतनी गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं कि सरकार को एक कैंपेन चलाना पड़ रहा है ताकि तम्बाकू का सेवन कम हो सके। उदाहरण के लिए सिगरेट के 85% भाग पर घातक नतीजों की तस्वीर देना आदि। ऐसे में कैनबिस को वैधता देने से सरकार को फिर से इस तरह के गंभीर परिणाम व कैंपन चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है।
- विदित हो कि आर्युवेद में कैनबिस को उपविष वर्ग में रखा गया है जो इसकी घातकता को बताती है।
- अगर कोई व्यक्ति कैनबिस का प्रयोग करता है तो उसके दिमांग का विकास भी सही से नहीं हो पाता हैं।
- अगर कैनबिस को वैधता दिया गया तो इसका बहुत ज्यादा व्यावसायीकरण हो जाएगा। एक समय था जब तम्बाकू के बारे में भी यही बोला जाता था कि तम्बाकू प्राकृतिक पौधा है जो नुकसानदायक नहीं है। लेकिन नतीजे इसके उलट हैं।
- लेकिन आज तम्बाकू का पूरा व्यावसायीकरण हो चुका है। तम्बाकू उद्योग ने आगामी समय में सिगरेट को बढ़ावा दिया ताकि आसानी से उसमें तम्बाकू का प्रयोग किया जा सके। उल्लेखनीय है कि उस समय बड़े स्तर पर सिगरेट का व्यावसायीकरण, विज्ञापन किया गया तथा युवाओं को आकर्षित किया गया। नीतजतन गंभीर बीमारियों से लोग प्रभावित हुए। ऐसे में UNO द्वारा संधि लायी गई इससे सबक न लेकर कैनबिस को वैधता देना उचित नहीं कहा जा सकता है।
- आज सरकार तम्बाकू और सिगरेट से अच्छा आय प्राप्त कर रही है लेकिन इसके सेवन से जो लोग बीमार होते हैं या फिर अपनी जान गवाँ देते हैं क्या उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।
- यदि एक बार कैनबिस (भांग) को वैधता दे दी गई तो जैसे तम्बाकू उद्योग बहुत ज्यादा लांबिग (गुटबाजी) करती है तथा सरकार को कानून नहीं बनाने देती है व अदालत में मामला जाने पर उसे लटकाती है वैसा ही कुछ कैनबिस के व्यवसायीकरण से अगामी समय में हो सकता है। ज्ञातव्य है कि व्यावसायीकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा उत्पाद को बेचना होता है।
- कैनबिस को वैधता देने की जो माँग चल रही है उसके पीछे एक वजह यह भी है कि तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कम होने लगी है। ऐसे में वह कंपनी जो तम्बाकू उत्पाद को बेचा करती थी उदाहरण के तौर पर मालबोरो सिगरेट की कंपनी अल्टीरिया (Altria) व अन्य कंपनी। वह अब निवेश के लिए कैनबिस के बाजार में अवसर तलास रही है। उल्लेखनीय है कि अल्टीरिया ने 12 हजार 4 सौ करोड़ रुपए का निवेश कैनबिस बाजार में किया है।

- ऐसी ही बड़ी-बड़ी अन्य कंपनी अगर कैनबिस के बाजार में निवेश करना शुरू करती है तो बहुत अधिक व्यावसायीकरण आगामी समय में होगा जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में बड़े स्तर पर विज्ञापन द्वारा युवाओं को लक्ष्य बनाया जा रहा है ताकि वे पूरी जिंदगी उनके उत्पाद का सेवन कर सकें। आइस्क्रीम, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में भी कैनबिस के उत्पाद बेचे जा रहे हैं।
- विदित हो कि 1961 में इसी संयुक्त राष्ट्र ने एक संधि लायी थी जिसका पश्चिमी देशों ने बड़े स्तर पर समर्थन भी किया था। संधि में ड्रग्स, कैनबिस के उत्पाद पर रोक लगाने पर बल दिया गया था।
- हालांकि भारत द्वारा इस संधि का विरोध किया गया था चूँकि भारत के अनुसार इसमें कई कमियाँ थी। लेकिन विडम्बना यह है कि आज पश्चिम के देश इसकी माँग कर रहे हैं, कि कैनबिस के साथ दूसरे ड्रग्स को भी वैधता दे दी जाए जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

कैनबिस के प्रभाव

- कैनबिस के लगातार इस्तेमाल से तार्किक समझ और फैसले लेने में मुश्किल हो सकती है। साथ ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- इस बात का प्रमाण बढ़ रहा है कि जो लोग किसी गंभीर मानसिक बीमारी, अवसाद या मनोविकृति से ग्रसित होते हैं उनमें कैनबिस उपयोग की संभावना अधिक होती है या फिर अतीत में इन लोगों ने कैनबिस लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल किया है। कैनबिस के नियमित उपयोग से साइकोटिक एपिसोड या स्किजोफ्रेनिया होने का खतरा दोगुना हो सकता है।
- कैनबिस के सेवन से लोग अनेक शारीरिक व्याधियों के शिकार हो सकते हैं। वहीं हिंसा और गुनाह की प्रवृत्ति के चपेट में आने से स्वयं को तथा परिवार को संकट में डाल सकते हैं।

आगे की राह

आज बहुत सारे देशों में जहां इसे प्रतिबंधित किया गया था वह भी कैनबिस के फायदे को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता भारतीय स्तर पर भी इसी तरह के रिसर्च की है। भले ही सरकार इसे देश में वैधता ना दे लेकिन इस दिशा में जरूरी कदम उठाये और देखें कि क्या कैनबिस के प्रभाव सही मायने में अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर इसका अच्छा प्रभाव सामने आता है, तो सरकार को इसे वैधता देना चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देनी चाहिए जैसे-

- सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि कैनबिस (भांग) का व्यावसायीकरण उस स्तर का ना हो सके जैसे अमेरिका में देखा जा रहा है। आज वहाँ कैनबिस को आइस्क्रीम सॉफ्ट ड्रिक्स आदि रूपों में परोसा जा रहा है।
- भारत सरकार को चाहिए कि वह बच्चों, युवा या फिर वे लोग जो किसी प्रकार कैनबिस का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें इसके गलत प्रभावों की जानकारी दे।
- सरकार को चाहिए कि वे उन लोगों को जो कैनबिस के आदि हो चुके हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य व सुविधा उपलब्ध करायें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. विश्व अंगदान दिवस 2019 और भारतः एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

13 अगस्त 2019 को पूरे विश्व में अंगदान दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है।

परिचय

अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक इंसान (मृत और कभी-कभी जीवित भी) से स्वस्थ अंगों और टिश्यू (Tissue) को ले लिया जाता है और फिर इन अंगों को किसी दूसरे जरूरतमंद शख्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। समान्यतः अंगदान दो प्रकार का होता है- अंगदान और टिश्यू यानी ऊतकों का दान।

गौरतलब है कि अंगदान के तहत किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज आदि तमाम अंदरूनी अंगों का दान किया जाता है। जबकि टिश्यू दान के तहत मुख्यतः आंखों, हड्डी और स्किन का दान किया जाता है। ज्यादातर अंगदान तब होते हैं, जब इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ अंग और टिश्यू इंसान के जिंदा रहते भी दान किए जा सकते हैं।

जीवित लोगों द्वारा दान किया जाने वाला सबसे आम अंग किडनी होता है, क्योंकि दान करने वाला शख्स एक ही किडनी के साथ सामान्य जिंदगी जी सकता है। भारत में होने वाले ज्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट के केस जिंदा डोनर द्वारा ही होते हैं। लंग्स और लिवर के भी कुछ हिस्सों को जीवित शख्स दान कर सकता है। इसके अलावा आंखों समेत बाकी तमाम अंगों को ब्रेन डेथ बाद ही दान किया जाता है।

अंगदान की प्रक्रिया

किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ होने के बाद सर्वप्रथम डॉक्टरों का एक पैनल पुष्टि करता है कि उस व्यक्ति का ब्रेन डेथ हुआ है या नहीं। इसके लिए डाक्टर ईईजी (EEG) टेस्ट कर दिमाग की जाँच करते हैं। इसके बाद घरवालों की इच्छा से और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मरने वाले के शरीर से अंगों को निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक निश्चित समय के भीतर पूरा करना होता है। दरअसल ज्यादा समय होने पर अंग खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि किसी भी अंग को डोनर के शरीर से निकालने के बाद 6 से 12 घंटे के अंदर उसे ट्रांसप्लांट कर देना होता है। कोई भी अंग जितना जल्दी प्रत्यारोपित होगा, उस अंग के काम करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। लीवर निकालने के 6 घंटे के अंदर और किडनी 12 घंटे के भीतर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। वहीं आंखों का 3 दिन के अंदर प्रत्यारोपण हो जाना चाहिए।

भारत की वर्तमान स्थिति

- भारत में अंग प्रत्यारोपण करने की सुविधा अच्छी है लेकिन यहाँ पर अंगदान करने

वालों की संख्या बहुत ही कम है। विश्व संदर्भ में देखें तो अंगदान करने के मामले में भारत दुनिया में बेहद पिछड़ा हुआ देश है। यहां प्रति दस लाख की आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं। जबकि प्रति दस लाख की आबादी पर स्पेन में 36 लोग, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं।

सामान्य मौत और ब्रेन डेथ के बीच अंतर

सामान्य मौत और ब्रेन डेथ में फर्क होता है। सामान्य मौत में इंसान के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसके दिल की धड़कन रूक जाती है, शरीर में खून का बहाव रूक जाता है। ऐसे में आंखों को छोड़कर जल्दी ही उसके सभी अंग बेकार होने लगते हैं। यही वजह है कि घर पर होने वाली सामान्य मौत की हालात में सिर्फ आंखों का दान किया जा सकता है, जबकि ब्रेन डेथ वह मौत होती है, जिसमें किसी भी वजह से इंसान के दिमाग को चोट पहुंचती है। इस चोट की तीन मुख्य वजहें हो सकती हैं: सिर में चोट (अक्सर ऐक्सिडेंट के मामले में ऐसा होता है), ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक (लकवा आदि)। ऐसे मरीजों का ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन बाकी कुछ अंग ठीक काम कर रहे होते हैं - मसलन हो सकता है दिल धड़क रहा हो।

कुछ लोग कोमा और ब्रेन डेथ को एक ही समझ लेते हैं लेकिन इनमें फर्क होता है। कोमा में इंसान के वापस आने की संभावना होती है, लेकिन ब्रेन डेथ में जीवन की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है।

- भारत में 'ब्रेन डेड' या 'मानसिक मृत' हो चुके लोगों के परिवार जन भी अंगदान करने से बचते हैं जबकि यह निश्चित हो जाता है कि ऐसे लोगों का जीवनकाल बढ़ाना अब संभव नहीं है। यही कारण है कि इस मामले में भी अंगदान बहुत कम हो रहा है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में 132, तमिलनाडु में 137, तेलंगाना में 167 और आंध्रप्रदेश में 45 और चंडीगढ़ में केवल 35 अंगदान हुए।
- तमिलनाडु ने बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 80 हजार (कॉर्निया सहित) अंगदान होता है।
- एक आंकड़े के मुताबिक अंगदान की कमी के कारण अकेले भारत में प्रति वर्ष पांच लाख लोग मर जाते हैं। विदित हो कि लीवर प्रत्यारोपण की जरूरत वाले मरीजों की संख्या प्रति वर्ष 85,000 होती है लेकिन इनमें से 3 प्रतिशत से भी कम का ही प्रत्यारोपण हो पाता है। इसी तरह प्रति वर्ष 2 लाख मरीज गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराते हैं लेकिन इनमें से केवल 8,000 का ही प्रत्यारोपण हो पाता है। हजारों की संख्या में प्रतीक्षारत मरीजों में से केवल 1 फीसदी का ही हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण होता है।
- दिसम्बर 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी गई कि प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 2 लाख गुर्दे, 30 हजार दिल और 10 लाख आंखों की जरूरत है जबकि दिल केवल 340 और 1 लाख आंखें यानी कॉर्निया ही हर साल मिल रहे हैं।
- गौरतलब है कि 2014 में जहाँ कुल 1,149 अंगों का दान हुआ वहीं, 2017 में यह बढ़कर 2,870 हो गया। इसमें किडनी और लीवर के दान में आई ढाई गुना बढ़त के साथ हृदय के दान में साढ़े छह गुना बढ़त भी शामिल है। 2005 से अब तक 30 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण के अभाव में मारे गए हैं।
- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान (NOTTO) के अनुसार, वर्ष 2017 में दिल्ली-एनसीआर में 45 ब्रेन डेड व्यक्तियों के अंगदान हुए थे। इससे 78 लोगों का किडनी, 36 लोगों का लीवर और 22 का हार्ट प्रत्यारोपण हुआ था। वर्ष 2018 में यह 60 फीसद तक घट गया।
- एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में रेल, बसों, ट्रकों या अन्य तरीके से कुल 496,762 दुर्घटनाएं हुईं। इनमें सड़क हादसों की संख्या 4,64,674 थी। इन सड़क हादसों में कुल 148,707 लोगों की जान गई। डॉक्टरों का कहना है कि यही वे लोग थे जिनका अंगदान कराया जा सकता था और इसके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बचायी जा सकती थी। मगर ऐसा नहीं हो पाया।

भारत में अंगदान की कानूनी स्थिति

भारत सरकार ने मानव अंग अधिनियम (THOA), 1994 के प्रत्यारोपण को अधिनियमित किया, जो अंग दान की अनुमति देता है, और 'मस्तिष्क की मृत्यु' की अवधारणा को वैध बनाता है।

अधिनियम के मुताबिक अंगदान सिर्फ उसी अस्पताल में ही किया जा सकता है , जहां उसे ट्रांसप्लांट करने की भी सुविधा हो। यह अपने आप में बेहद मुश्किल नियम था। इस नियम से दूर-दराज के इलाकों के लोगों का अंगदान तो हो ही नहीं पाता था। इस समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा 2011 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। नए नियम के मुताबिक अंगदान अब किसी भी आईसीयू में किया जा सकता है। यानी उस अस्पताल में ट्रांसप्लांट न भी होता हो, लेकिन आईसीयू है, तो वहां भी अंगदान किया जा सकता है।

अंगदान करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अंगदान के लिए अपने माता-पिता या संरक्षक से इजाजत लेनी जरूरी होती है। कई एनजीओ और अस्पतालों में अंगदान से जुड़ा काम होता है। इनमें से कहीं भी जाकर आप एक फॉर्म भरकर दे सकते हैं कि आप मरने के बाद अपने कौन से अंग का दान करना चाहते हैं। जो अंग आप चाहेंगे केवल उसी अंग को लिया जाएगा। शरीर के किसी भी अंग को दान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

अंगदान से जुड़ी चुनौतियाँ

- भारत में अंगदान की अपार सम्भावनाएँ हैं, बावजूद इसके अंगदान बहुत ही कम होता है। दरअसल इसकी वजह भारत में अंगदान से संबंधित कई चुनौतियों का होना है जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
- सबसे बड़ा कारण समाज में अलग-अलग तरह के भ्रम या अंधविश्वास का प्रचलित होना है, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि अंगदान के बाद उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। लालच में डॉक्टर जानबूझ कर रोगी व्यक्ति को मृत घोषित कर सकते है। इसके अलावा शरीर का आकार संस्कार के लिए खराब न हो जाए आदि।
- लाइव ट्रांसप्लांट के लिए तो डोनर मिल जाते हैं लेकिन मृत्यु के बाद अंगदान करने वालों की अभी भारी कमी है। किडनी प्रत्यारोपण के केस में ज्यादातर रिश्तेदार ही अंगदान करते हैं इसलिए उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती है।
- आज भी जागरूकता की कमी के कारण, लोगों के मन में अंगदान के बारे में भय और मिथक हैं। विदित हो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 50 हजार और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए 20 हजार लोगों की प्रतीक्षा सूची सरकार के पास उपलब्ध रहती है, लेकिन अंगदाताओं की कमी के कारण इनमें से बहुत से लोगों को बचा पाना संभव नहीं पाता है।
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, ऐसे में प्रति व्यक्ति दो गुर्दे रहते हुए दुर्घटना में लगभग 3 लाख गुर्दे उपलब्ध होते हैं। परंतु भारत में केवल 5 हजार लोगों में ही हर साल किडनी ट्रांसप्लांट हो पाते हैं

और बाकी व्यर्थ हो जाते हैं। ये सब कुछ लोगों में जागरूकता की कमी के कारण हो रहा है।

- दुर्घटना के कारण हुई मौत के बाद परिवार जनों की भावनाओं का ख्याल करते हुए उन्हें अंगदान के लिए तैयार करवाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। कई अस्पताल इस मुश्किल की घड़ी में परिवार जनों की काउंसलिंग कर उन्हें अंगदान के लिए तैयार करवाने के लिए विशेष काउंसल की नियुक्ति करते हैं।
- अंग प्रत्यारोपण कानून लागू करने में पक्षपात के चलते इसकी पारदर्शिता भी संदिग्ध रही है।
- एक अन्य चुनौती अंगदान की पूरी प्रक्रिया से सम्बन्धित शर्तों के पालन करने से है। विदित हो कि देश में प्रत्यारोपण का पूरा कार्यक्रम द ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन ऐक्ट 1994 के तहत किया जाता है जिसके तहत कोई भी शख्स अंगों को बेच या खरीद नहीं सकता। जिस शख्स का प्रत्यारोपण होना है, अंगदान सिर्फ उसके सगे-संबंधी या बेहद नजदीकी रिश्तेदार ही कर सकते हैं, जिसके लिए पूरी जांच-पड़ताल की जाती है।
- दूरदराज के इलाकों में तो सुविधा के अभाव की वजह कई बार अंग दान मुमकिन नहीं हो पाता है।
- ब्रेन डेड मरीज के अंगदान की सहमति मिलने पर किडनी, हृदय व लिवर को सुरक्षित बाहर निकालना (रीट्रिव्ल) बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। हाल ही में सफदरजंग अस्पताल में ही इस साल करीब 10-12 मरीजों की सहमति मिलने के बावजूद अंगदान जैसा महादान नहीं हो सका क्योंकि सिस्टम में खामी के चलते अंगदान से पहले ही मरीजों ने दम तोड़ दिया।
- भारत के ज्यादातर अस्पतालों में तो अंगदान में मिले अंगों को सर्जरी के द्वारा सुरक्षित निकालने की सुविधा नहीं है।
- साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटी समाप्त होने के बाद खासतौर पर देर रात में काम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, जबकि किसी मरीज के ब्रेन डेड अवस्था में पहुंचने पर उसका जल्दी अंगदान करना जरूरी होता है।
- ऑपरेशन थियेटर (ओटी) से संबंधित भी कुछ समस्या है। कई बार यह दिक्कत आती है कि मरीज के ब्रेन डेड होने पर उसके अंगदान से पहले ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है।
- अंग प्रत्यारोपण बेहद खर्चीला है, इस संदर्भ में सामान्य मरीज वित्तीय बोझ को सहन नहीं कर सकता है।
- स्पेन और दूसरे कई विकसित देशों में नियम है कि अगर किसी को अंग दान नहीं करना तो उसे लिखकर देना होता है, वरना ब्रेन डेथ की स्थिति में उसके अंगों को जरूरतमंदों को लगा दिया जाता है। हमारे यहां इसका उलटा है। अगर कोई दान करना चाहता है तो उसे रजामंदी देनी होती है और ऐसे लोग भी विरले ही हैं। इसके अलावा, अगर डोनर के करीबी परिजन अगर इनकार कर दें तो भी दान नहीं हो पाता है। अकसर परिजन अंग दान करने से इनकार भी कर देते हैं। नतीजतन अंगदान न होने से इसके अभाव में कई लोगों की मौत हो जाती है।

NOTTO

राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। NOTTO के निम्नलिखित दो प्रभाग हैं-

- **राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण नेटवर्कः** मानव अंग प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसी अखिल भारतीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च केन्द्र के तौर पर कार्य कर रहा है।
- **राष्ट्रीय बॉयोमैटीरियल केन्द्र (राष्ट्रीय ऊतक बैंक):** इस केन्द्र को स्थापित करने का मुख्य आधार और लक्ष्य विभिन्न प्रकार के ऊतकों की उपलब्धता व इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना है।

सरकारी प्रयास

- देशभर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू किया है। वहीं ब्रेन डेड से प्राप्त अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे नई दिल्ली में नोट्टो (राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) और पूरे भारत में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 5 अन्य रोट्टो (क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) स्थापित किए हैं, जिनमें से ऐसा ही एक संस्थान पी.जी.आई चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है जोकि उत्तरी भारत के 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखण्ड आदि के अंग और टिश्यू दान क्षेत्र को देख रहा है।
- इसके अलावा राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोट्टो) स्थापित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। कुछ दिन पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल को भी धनराशि स्वीकृति की गई है। लोकसभा में वर्ष 2018 को दी जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में 209 अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण किए जाते हैं।
- केन्द्र सरकार ने इसी दिशा की अगली कड़ी के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है जिसके तहत 10.74 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसके साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में दवाओं और उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया गया है ताकि वह सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके।
- गौरतलब है कि अंगदान करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अंगों को उपयोग के लायक जीवित रखने के लिए राज्यों द्वारा इस संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है, जिसने इस संदर्भ में कई पहलों की शुरूआत की है, जैसे मस्तिष्क मृत्यु का प्रमाणपत्र बनाना, अंग वितरण को सुव्यवस्थित करना और अंगों के आवागमन के लिए हरित कॉरिडोर निर्धारित करना आदि।
- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, नतीजतन कई लोग अंगदान के लिए सामने आने लगे हैं।
- इसके आलावा सरकार अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कई गैर सरकारी संगठन को भी सहयोग दे रही है। इसी का परिणाम है कि अब अंगदान के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, 22 साल में मुंबई में अंगदान से 1178 लोगों को जीवनदान मिला है। खासकर 2014 से काफी सकारात्मक असर दिख रहा है। बता दें कि इस साल लगभग 51 ब्रेन डेड डोनर से 74 किडनी, 40 लिवर, 14 हॉर्ट और 7 लंग्स जरूरतमंद मरीजों को दिए जा चुके हैं।
- अंगदान को बढ़ावा देने और अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा नोट्टो का गठन किया गया है।

- नोट्टो ने इस दिशा में एक नई पहल करते हुए अंगदान की समस्या को दूर करने के लिए हर मेडिकल कॉलेज में रीट्रिव्ल (Retrieval) की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति भी तैयार की गई है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अंगदान को बढ़ावा देना जरूरी है इस संदर्भ में निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है–

- अंग दान की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर सांस्कृतिक मान्यताओं, पारम्परिक सोच और कर्मकाण्डों की वजह से है। ऐसे में डॉक्टरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य जागरूक लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति लोगो को जागरूक करना चाहिए।
- डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अन्य लोगों को अंग प्रत्यारोपण विधि को जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए।
- सरकार ने अंगदान कराने के लिए काफी प्रयास किये हैं, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हुए हैं। अगर शीर्ष फिल्मी-सामाजिक हस्तियों से इसके बारे में प्रचार प्रसार कराया जाए तो अंगदान बढ़ाया जा सकता है। सरकार को कानून बनाने के साथ उसके अनुपालन पर भी ध्यान देना चाहिए।
- लोगों में यह दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि मृत्यु के बाद यदि वे अंगदान करते हैं तो उनका परिजन मौत के बाद भी एक रूप में जीवित रहेंगे। साथ ही किसी का जीवन बचाने का पुण्य मिलेगा, वह अलग।
- आज भारत में अधिकांशत: जीवित व्यक्ति ही अंगदान कर रहे हैं। मृतकों से प्राप्त अंगों में से केवल 23 प्रतिशत अंगों का ही प्रत्यारोपण हो पा रहा है। जीवित व्यक्तियों के अंगों की खरीद बिक्री के खतरे को समाप्त करने के लिए मृत व्यक्तियों के अंगदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- अंगदान में शामिल डॉक्टरों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति तैयार की जानी चाहिए ताकि किसी ब्रेन डेड मरीज के परिजनों द्वारा अंगदान की स्वीकृति मिलने पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व कर्मचारी किसी भी वक्त अस्पताल पहुंचकर अंगदान करा सकें।
- एक मरीज महंगी दवा खरीद सकता है लेकिन शरीर के खराब अंग को नहीं खरीद सकता। इसलिए उसकी देखभाल रखना भी स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए है। अगर लोगों यह समझाया जाए कि व्यक्ति जीवित रहते भी अंगदान कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है तो अंगदान करने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. G7 सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में फ्रांस की तरफ से भारत को 45वें G7 शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस साल 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के बिआरित्ज शहर में आयोजित किया गया। विदित हो कि पहली बार भारत को साल 2003 में G8 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था तब भी यह सम्मेलन फ्रांस में ही आयोजित किया गया था। इस बार सम्मेलन का एजेंडा आय और लैंगिक असमानता से लड़ने और जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित था।

परिचय

G7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका न तो कोई मुख्यालय है और न ही सचिवालय। इसका कोई चार्टर भी नहीं है। समूह के सदस्य देश, विश्व के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता करने व उसका समाधान निकालने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं।

समूह खुद को 'कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज' यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और टिकाऊ विकास, इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रत्येक सदस्य देश बारी-बारी से इस समूह की अध्यक्षता करते हैं यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है।

G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। दरअसल इसमें यूरोपीयन कमीशन और यूरोपीयन काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ साल 1977 से ही समूह का सहभागी सदस्य रहा है। सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

पृष्ठभूमि

1970 के दशक की वैश्विक आर्थिक मंदी व बढ़ते तेल संकट की पृष्ठभूमि में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति बैलेरी जिस्कार्ड डी एस्टेइंग के आह्वान पर वर्ष 1975 में इस समूह का गठन किया गया था। समूह के संस्थापक सदस्य तत्कालीन विश्व के सर्वाधिक औद्योगीकृत एवं लोकतांत्रिक देश-फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी एवं जापान थे। पेरिस के निकट रम्बोइलेट में वर्ष 1975 में समूह की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। वर्ष 1976 में कनाडा के इस समूह में सम्मिलित होने के बाद समूह को 'G7' नाम दिया गया। विदित हो कि 1998 में रूस के शामिल होने के बाद समूह जी-8 के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के चलते रूस को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया ऐसे में समूह का नाम पुन: 'G7' हो गया।

भारत को आमंत्रण क्यों

- भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है बावजूद इसके इस सम्मेलन में अगर भाग ले रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रांस और भारत की बढ़ती नजदीकियाँ।
- दरअसल, फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खास देशों को आमंत्रित किया है, जो दुनिया की राजनीति में खास जगह रखते हैं।
- इस सूची में भारत का नाम सबसे ऊपर है। भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और रवांडा जैसे देशों को भी ठीक भारत की तरह इस सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला।
- भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक G7 देशों के समूह सम्मेलन में पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाना दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को दिखाता है।

भारत-फ्रांस संबंध

भारत और फ्रांस के संबंध सर्वकालिक एवं सदाबहार रहे हैं, दोनों देशों के बीच संबंध के क्षेत्र में पर्याप्त विविधता और गहराई है। जिस बात की पुष्टि हाल ही में G-7 सम्मेलन में फ्रांस द्वारा भारत को आमंत्रित करने से होती है। सम्मेलन में भारत और फ्रांस के बीच कई मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई।

समझौते के प्रमुख बिंदु

- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निलंबित करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले का समर्थन करते हुए फ्रांस ने कहा है कि वह ऐसी नीतियों का समर्थन करेगा जो इस क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करे, साथ ही फ्रांस ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- फ्रांस ने भारत के आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही दोनों देशों ने मेलबर्न में आतंकवाद के वित्तपोषण पर "नो मनी फॉर टेरर" के आयोजन हेतु संयुक्त राष्ट्र के देशों से समर्थन हासिल करने पर भी सहमत हुए।
- दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और उच्च क्षमता की कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावना पर बल दिया। विदित हो कि वर्ष 2018 के समझौते में साइबर क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं था।
- भारत और फ्रांस ने विशेष रूप से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- फ्रांस और भारतीय कंपनियों के लिये व्यापार और निवेश "चिंता के मुद्दों" को सुलझाने हेतु संयुक्त रूप से काम करने का भी निर्णय लेने पर भी सहमति बनी।
- दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुद्दे पर भी एक-दूसरे को समर्थन प्रदान करने पर सहमति भी व्यक्त की। भारत में फ्रांस के सहयोग से जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिस पर दोनों देशों ने हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
- फ्रांस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चिकित्सा प्रशिक्षण सहायता हेतु भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है जो वर्ष 2022 में भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनेगा।

G7 शिखर सम्मेलन 2019 : प्रमुख मुद्दे

इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय दुनिया भर में फैलती 'असमानता के विरुद्ध लड़ाई' थी। लेकिन 2019 का सम्मेलन इसलिए अहम रहा क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते जलस्तर और डिजिटल जगत के परिवर्तन, व्यापार युद्ध, अमेजन के जंगलों में भड़की आग से संबंधित कई ज्वलंत और तात्कालिक मसलों पर बात हुई।

अमेजन के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर सम्मेलन के अंतिम दिन चर्चा हुई और इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के 'ग्रीन लंग्स' पर हमला बताया गया। विदित हो कि इस सम्मेलन में बोल्सोनारो (ब्राजील के राष्ट्रपति) को पूंजीवादी स्वार्थपरक नीतियों का समर्थक बताया गया और अमेजन के जंगलों में लगी आग के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप है कि उन्होंने विकास कार्यों की आड़ में पर्यावरण के नियमों को शिथिल करके दुनिया के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अमेजन का करीब 60 फीसदी हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। इन वर्षा वनों का एक बड़ा भाग बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में भी स्थित है, लेकिन इनमें से कोई भी देश G7 के सदस्य नहीं है। इसीलिए इन पर दबाव बनाना भी G7 के लिए आसान नहीं कहा जा सकता है।

इस सम्मेलन ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया जब ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर राजनयिक गतिरोध के संबंध में चर्चा करने के लिए बिआरित्ज पहुंचे। जरीफ की यहां मौजूदगी अप्रत्याशित थी और यह फ्रांस की तरफ से ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने की कोशिश भी थी। इसको लेकर ट्रंप पूरी तरह से तैयार नहीं थे। स्मरणीय हो कि ट्रंप ने तेहरान पर उसके विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर 'अधिकतम दबाव' की नीति अपना रखी है। लेकिन सम्मेलन की खास बात यह रही कि ईरान मुद्दे पर ट्रंप के सुर नरम होते हुए नजर आए। मैंक्रों ने अमेरिकी प्रशासन से इस अवसर पर अपील की कि ईरान को प्रतिबंधों में थोड़ी राहत दी जाए, ताकि ईरान, चीन और भारत को अपना कच्चा तेल बेच सके। आयात शुल्क को लेकर कई देशों के साथ चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ''कारोबार युद्ध'' भी मुद्दों में छाया रहा।

वहीं 45 वें शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि 'लैंगिक समानता पर बल देना भी रहा। इससे पूर्व 44वें शिखर सम्मेलन में इसकी गम्भीरता को देखते हुए 'लैंगिक समानता सलाहकार परिषद्' का गठन किया गया था। सलाहकार परिषद, G7 के सदस्य देशों को महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के मुद्दों पर परामर्श देने का कार्य करती है। परिषद् का उद्देश्य निजी क्षेत्र की कंपनियों को लैंगिक असमानता की समस्या को समाप्त करने के लिए 'लैंगिक समानता परिषदों' के गठन हेतु प्रोत्साहित करना है।

सम्मेलन में रूस को फिर से शामिल करने की भी चर्चा हुई। सूत्रों की मानें तो समूह के मौजूदा देश रूस से सहयोग बढ़ाने के पक्ष में दिखे। रूस को समूह में पुन: कब शामिल किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। विदित हो कि 2020 में G7 बैठक की मेजबानी अमेरिका करेगा। इस अवसर पर जब रूस की वापसी पर ट्रंप से पुछा गया तो उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 'मैं इस बारे में नहीं जानता लेकिन निश्चित तौर पर यह संभव है।'

भारत के लिए G7 सम्मेलन का महत्त्व

भारत की दृष्टि में यह सम्मेलन बड़ा खास रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए किसी भी गुंजाइश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश सभी आपसी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के बिआरित्ज में G7 शिखर सम्मेलन से इतर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कहा कि कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला है और दोनों देशों को इसे आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि दोनों देश ऐसा कर सकते हैं।

- पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अमेरिका से ऊर्जा के आयात को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत की चूँकि दोनों देशों के बीच चार अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का ऊर्जा आयात पहले ही लंबित है। अगर यह आयात सुगम हो जाता है और शिखर सम्मेलन के दबावस्वरूप ईरान को भविष्य में तेल बेचने की इजाजत मिल जाती है तो दोनों सौदे भारत के लिए आर्थिक रूप से यकीनन फायदेमंद और सहूलियत भरे सिद्ध होंगे।

चुनौतियाँ

- G7 समूह देशों के बीच आज भी कई मुद्दों को लेकर असहमतियाँ कायम हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते जलस्तर और डिजिटल जगत के परिवर्तन, व्यापार युद्ध, अमेजन के जंगलों में भड़की आग आदि।
- गौरतलब है कि पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। फ्रांस की सरकार व

राजनीतिक समीक्षकों ने 44वें शिखर सम्मेलन को 'G6+1' सम्मेलन करार दिया था। 'G6+1' से अभिप्राय अमेरिका का अन्य सदस्य देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव से है।

- व्यापारिक संबंधों को लेकर अमेरिका-फ्रांस और अमेरिका-कनाडा के मध्य गतिरोध की स्थिति है। इसके अतिरिक्त ईरान के साथ संयुक्त समग्र कार्ययोजना (Joint Comprehensive Plan of Action) के समझौते से हटना, पेरिस जलवायु समझौता तोड़ना और सीमा शुल्क में वृद्धि से अमेरिका की अन्य सदस्य देशों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।
- इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप को आरोप है कि दूसरे देश अमरीका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं।
- G7 समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है या फिर बात तो की जाती है, लेकिन कारवाई नही की जाती। विडंबना यह भी है कि यह भले ही खुद को दुनिया के सबसे विकसित और शक्तिशाली देशों का समूह मानता हो, लेकिन इसके सदस्य देशों में पर्याप्त एकता नहीं है। ये सभी अपने-अपने निजी स्वार्थों से संचालित होते हैं।
- चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन वह इस समूह का कभी हिस्सा ही नहीं बन सका। इसकी वजह यह है कि इसकी प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था ही नहीं माना जाता। इसलिए इस समूह में लिए गए फैसले या इसके मशविरे दुनिया पर कितने प्रभावी होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता।
- हर साल शिखर सम्मेलन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन होते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं से लेकर पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संगठन इन विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होते हैं।
- आलोचना का एक अन्य कारण अफ्रीका, लैटिन अमरीका और दक्षिणी गोलार्द्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा न होना भी है।
- भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन G7 का हिस्सा नहीं हैं। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे।

आगे की राह

G7 की आलोचना यह कह कर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा है, लेकिन G7 के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। समूह ने कई सफलताओं को हासिल किया है जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरूआत करना भी शामिल है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है।

- समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका रही है। G7 के देश सबसे बड़े निर्यातक रहे हैं। इसके अलावा यह समूह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी मानवाधिकार सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार युद्ध आदि मुद्दे जीवंत हैं जिसके खिलाफ पूरे विश्व को संघर्ष करने की दरकार है।
- इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसी बाते हैं जो G7 के महत्त्व को उजागर करती हैं जैसे- इन देशों के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है।
- ये यूएन के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं।
- ये सभी सात देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) का उत्पादन करते हैं।
- इन 7 देशों का दुनिया की 40 फीसदी जीडीपी पर कब्जा आदि। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने, व्यापार को सही दिशा में ले जाने एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को निभाने में G7 ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. चीन की शिनजियांग समस्या : एक परिचय

चर्चा का कारण

हाल ही में चीन ने अपने अशांत मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में एक नई आतंकवाद रोधी विशेष अभियान इकाई गठित की है। इस प्रांत में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चीन की दो अन्य आतंकवाद-रोधी कमांडो इकाईयां गुआंगजो स्थित स्नो लेपर्ड यूनिट, जिसे 2002 में स्थापित किया गया था और 1982 में स्थापित बीजिंग की फाल्कन यूनिट हैं।

परिचय

चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाले शिनजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग रहते हैं। यह एक तुर्क जातीय समूह भी है इतिहास के जानकारी के मुताबिक उइगर पूर्वी और मध्य एशिया के इलाकों में रहते आये हैं। इस्लाम इनके जीवन और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इनकी भाषा तुर्की से संबंधित रही है और वे खुद को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते रहे हैं।

दरअसल आज का शिनजियांग साल 1949 से पहले तुर्किस्तान का पूर्वी हिस्सा था। 1949 में इसे एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रही और उसी साल चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। चीनी कब्जे के विरोध में तभी से शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका मकसद चीन से अलग होना है।

गौरतलब है कि साल 1990 में जब तत्कालीन सोवियत संघ का पतन हुआ तब इस क्षेत्र के लोगों ने खुद को आजाद कराने के लिए काफी प्रयास किए। उस वक्त इस आंदोलन को मध्य एशिया के कई मुस्लिम देशों ने भी समर्थन दिया था। लेकिन चीन के कड़े रुख और दमनकारी नीति के आगे किसी की नहीं चली तभी से चीन हमेशा से यह आरोप लगाता रहा है कि शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम चीन से अलग होने की मांग के तहत ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं और इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते रहे हैं।

विवाद का कारण

जिस शिनजियांग प्रांत की बात चीन करता है दरअसल वहाँ उइगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और चीन ने इस प्रांत को स्वायत्त घोषित कर रखा है। इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस सहित आठ देशों के साथ मिलती है। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी एक करोड़ से ऊपर है। यहां के इस बहुसंख्यक समुदाय को संतुलित करने के लिन चीन की सरकार ने हान समुदाय के लोगों को बसाना शुरू किया। साथ ही चीन की सरकार ने यहां के ऊंचे पदों पर भी हान समुदाय के लगों को बिठाया है। इसका नतीजा अब सामने आने लगा है। उइगरों का कहना है कि चीन की वामपंथी सरकार हान चीनियों को शिनजियांग में इसीलिए भेज रही है ताकि उइगरों के आंदोलन 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' को दबाया जा सके। वहीं चीनी सरकार का इस पर कहना है कि यह चीन की उस नीति को बताता है जिसके जरिए वह अपने यहाँ पर इस्लामी कट्टरता को रोक रहा है।

चीन की सरकार द्वारा उइगर मुस्लिमों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दस लाख से ज्यादा उइगरों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है। चीन इन हिरासत केंद्रों को व्यावसायिक शिक्षा केंद्र कहता है।

गौरतलब है कि इस क्षेत्र में चीन ने उइगर मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा रखा है। 2018 में चीन की सरकार ने वहां की एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। 2014 में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। इसके तर्क में कहा गया था कि कानून से बड़ा कोई ध र्म नहीं होता है। इससे पहले 2014 में शिनजियांग की सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के रोजा रखने और मुस्लिम नागरिकों के दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी थी। चीन का

यहां तक कहना है कि धार्मिक गतिविधियां देश के कानून के तहत होनी चाहिए। 2018 में ही चीन के स्वायत्त क्षेत्र निंगसिआ हुई के वुजहांग शहर में स्थित वेईझोऊ जामा मस्जिद को गिराने के लिए भी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे लेकिन भारी प्रदर्शन के चलते इसको फिलहाल टाल दिया गया।

प्रमुख हिंसक घटनाएँ

- 2008 में शिनजियांग की राजधानी उरुमची में हुई हिंसा में 200 लोग मारे गए जिनमें अधिकांश हान चीनी थे।
- 2009 में उरुमची में ही हुए दंगों में 156 उइगर मुस्लिम मारे गए थे। तुर्की ने इसको एक बड़ा नरसंहार करार दिया था।
- 2010 में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हुई हिंसा।
- 2012 में विमान हाइजैक करने के आरोप में छह उइगर गिरफ्तार किए गए। यह विमान हाटन से उरुमची जा रहा था।
- 2013 में प्रदर्शन कर रहे उइगर मुस्लिमों पर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई।
- चीन के अनुसार हिंसाग्रस्त शिनजियांग प्रांत में 2014 से जारी कार्रवाई के तहत अब तक करीब 13 हजार आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान सूबे में सक्रिय सैकड़ों आतंकी संगठनों का सफाया भी किया गया है।
- 2016 में बीजिंग में एक कार बम धमाके में पांच लोग मारे गए जिसका आरोप उइगर मुस्लिमों पर लगा था।
- चीन के श्वेत पत्र के अनुसार, साल 2014 से शिनजियांग में जारी दहशतगर्दी विरोधी कार्रवाई के दौरान 1,588 आतंकी गिरोहों को खत्म किया गया।
- 12,995 आतंकी गिरफ्तार किए गए और 2,052 बम बरामद हुए। इसके अलावा अवैध धार्मिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए 30,645 लोगों को दंडित किया गया। श्वेत पत्र में यह भी बताया गया है कि साल 1990 से 30 हमलों को रोका गया और अंतिम हमला दिसंबर 2016 में हुआ था। प्रांत में हुए हमलों और हिंसक घटनाओं में 458 लोग मारे गए और 2,540 लोग घायल हुए थे।

अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्रतिक्रिया

उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पश्चिमी देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। जेनेवा में मानवाधिकार निगरानी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने 22 पश्चिमी देशों की तरफ से चीन से अनुरोध किया कि वह उइगर मुस्लिमों की नजरबंदी खत्म करे और मानवाधिकार नियम लागू करे। इस संबंध में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को भी एक पत्र लिखा गया और चीन को कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को निभाने व बनाये रखने की हिदायत दी गई। इस चिट्ठी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी उन 18 यूरोपीय देशों के साथ शामिल है जिन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ जुड़कर उइगर और अन्य मुस्लिमों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ मनमानेपन को रोकने और धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति देने की माँग की।

इस संदर्भ में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक चीन में नजरबंदी शिविरों में रहते हैं जहाँ उन्हें राजनीतिक विचारधारा बदलने के लिए विवश किया जाता है। उइगर मुस्लमानों की नजरबंदी को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। 2018 में अमेरिका ने इन इलाकों में पत्रकारों की पहुंच पर प्रतिबंध हटाने की माँग की थी। अमेरिका ने चीन से इन शिविरों को लेकर पारदर्शिता अपनाने, शिविरों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग भी की थी।

वहीं तुर्की ने उइगर मुस्लिमों के साथ खराब बर्ताव को लेकर बीजिंग पर निशाना साधा है। तुर्की ने चीन की निंदा करते हुए उसके इस बर्ताव को मानवता को शर्मसार करने वाला करार दिया है। विदित हो कि उइगर मुस्लिम बहुल प्रांत में प्रशासन ने पिछले साल 2,28,000 लोगों को आपराधिक आरोपों के तहत गिरफ्तार किया। चाइना ह्यूमन राइट डिफेंडर की रिपोर्ट की मानें तो सुरक्षा जांच के नाम पर हुई गिरफ्तारी में 730 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में चिंता का विषय यह है कि चीन की न्याय व्यवस्था में सजा दर 99.9 फीसद से भी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें, तो आपराधिक मामलों में किसी के खिलाफ केस दर्ज होने का मतलब है कि उसे सजा मिलेगी ही।

संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति ने उइगर मुस्लिमों के साथ किए जा रहे

इस व्यवहार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के निगरानी समूहों का कहना है कि उइगरों को चौकसी और सुरक्षा अभियानों के बहाने निशाना बनाया गया है। विदेशों से शिनजियांग प्रांत में लौटने वाले सैकड़ों उइगर छात्र गायब हो गए हैं। उनमें से कई हिरासत में हैं और कई हिरासत में मर भी चुके हैं।

चीन का रुख

शिनजियांग को लेकर चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाब को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है और उइगर मुस्लिमों को लेकर अपने नीति में कोई बदलाव भी नहीं करना चाहता है। साथ ही वह शिनजियांग मसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी एक साफ और कल्याणकारी छवि प्रकट कर रहा है। उसके द्वारा इस संदर्भ में दिए जा रहे तर्कों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- चीन का तर्क है कि वह अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के हिंसक हमलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत ऐसा कर रहा है। चीन ने अशांत शिनजियांग क्षेत्र और बीजिंग समेत देश के कई अन्य हिस्सों में कई हिंसक हमलों के लिए ईटीआईएम को जिम्मेदार ठहराया है।
- वैश्विक समुदाय के समक्ष अपने पक्ष को रखते हुए चीन ने हाल ही में श्वेत पत्र के जरिए उइगर मुसलमानों के प्रति अपनायी जा रही नीतियों को सही करार दिया है।
- इसमें चीन ने साफ कर दिया है कि उइगर मुस्लिम बहुल शिनजियांग में आतंकी खतरों से निपटने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
- श्वेत पत्र के अनुसार साल 2014 से शिनजियांग में जारी दहशतगर्द विरोधी कार्रवाई के दौरान 1588 आतंकी गिरोहों को खत्म किया गया है।
- चीन का तर्क है कि शिनजियांग प्रांत में सुरक्षा उपायों के तहत कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन किसी भी विशेष जाति को लक्षित या किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया गया है। शिनजियांग के रहने वाले सभी लोगों को समान स्वतंत्रता और अधिकार हैं।
- "शिनजियांग में व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण" शीर्षक वाले दूसरे आधिकारिक श्वेत-पत्र में चीन ने कहा कि शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने के बाद करीब तीन साल से शिनजियांग में कोई आतंकी घटना नहीं हुई है और समाज में कुल मिला कर स्थिति स्थिर है।
- गौरतलब है कि चीन द्वारा जारी श्वेत पत्र में छः अध्याय हैं जिसमें शिनजियांग द्वारा कैंपों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के अलावा उनके नतीजों का भी लेखा-जोखा है। पूरे श्वेत पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे शिनजियांग के कैंपों में चलाए गए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने मुस्लिम युवाओं को चीन की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद की है।
- शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय इस तरीके से बनाया गया है कि वह आतंकवाद और कट्टरता से दूर होकर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करे और रोजगार पाने के लायक बने।
- चीन के मुताबिक शिनजियांग में आये इन परिवर्तनों की वजह से 2018 में करीब 15 करोड़ पर्यटक आये। इसमें 26 लाख विदेशी पर्यटक हैं जबकि जनवरी से जून के बीच करीब 7.6 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं।
- चीन द्वारा शिनजियांग प्रांत में अलग नीति अपनाये जाने का एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि उइगरों के संगठन इस्लामिक तुर्कीस्तान आज भी आंदोलन कर रहे हैं नतीजतन हिंसा की घटनाएं घटती हैं। इस हिंसा के लिए विदेशों में बैठे उइगर नेता जिम्मेदार हैं जबकि उइगर नेता और उसके संगठन चीन के सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हैं। वे हिंसा और भेदभावपूर्ण नीति के लिए पूरी तरह से चीन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि चीन ने उइगर समुदाय का मौलिक अधिकार भी छीन लिया है।

भारत का रुख

- चीन द्वारा शिनजियांग प्रांत में अपनायी जा रही नीतियों के प्रति भारत उदासीन रहा है। भारत ने आतंकवादी घटनाओं का कभी समर्थन नहीं किया है जबकि वह मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठाता रहा है। चीन के साथ भारत पहले से ही उपस्थित मतभेदों को और नहीं बढ़ाना चाहता है, किंतु चीन का रुख कश्मीर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी ही रहा है। एक ओर चीन कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की बातें करता है तो वहीं वह स्वयं उइगर मामले में अमानवीय रुख आख्तियार करता रहा है। भारत को भी चीन के रुख के अनुसार ही अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। इस संबंध में भारत को कूटनीतिक स्तर पर वैश्विक जगत में संदेश देना चाहिए कि मानवाधिकार का उल्लंघन किसी भी देश में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस तरह आज चीन जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के साथ उठाकर भारत को मानवाधिकार विरोधी साबित करने पर तुला हुआ है, वहीं चीन खुद यह भूल रहा है कि वह उइगर मुसलमानों को री-एजुकेशन कैंप में बंदी बनाकर रखे हुए है। जबकि कश्मीर में किसी को कैंप में नहीं रखा गया है जो कानून बदले गए हैं वह उनकी भलाई के लिए किए गए हैं। जिस बात से दुनिया परिचित हो रही है और मान भी रही है लेकिन चीन और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हैं।

वहीं दूसरी तरफ चीन का आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया भारत सहित पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि चीन जहाँ पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को आतंकी नहीं मानता वही अपने यहाँ के उइगर मुस्लिमों में उसे आतंकी दिखाई देते हैं। इस तरह चीन द्वारा लाखों की तादात में मुसलमानों को नियंत्रित किया जा रहा है, जिसको लेकर इस्लामिक देशों द्वारा किसी तरह का प्रतिरोध भी खुलकर नहीं किया जा रहा है।

चीन की विस्तारवादी नीति के चलते तिब्बत, हेन्नान और शिनजियांग प्रांत में अब धार्मिक और नस्लीय तनाव की परिणति हिंसा में बदलने लगी है। अब चीनी सरकार को लग रहा है कि इस तरह के टकरावों से देश की भौगोलिक एकता खतरे में पर सकती है क्योंकि अब इन मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर पड़ती है और जब चीन खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने में लगा है तो यह मुसीबत उसे भारी पड़ सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. भारत की परमाणु नीतिः मूल्यांकन की आवश्यकता?

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव को लेकर भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज तक भारत की परमाणु नीति (Nuclear Policy) "नो फर्स्ट यूज" (No First Use) रही है। परन्तु भविष्य में भारत की नीति क्या होगी यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

गौरतलब है कि भारत का परमाणु शक्ति सम्पन्न बनने का महत्वपूर्ण कारण चीन की बजाए पाकिस्तान था, लेकिन क्या भारत की प्राथमिकताएँ अब बदल गई हैं? इन्हीं सब बिन्दुओं पर इस आलेख में सविस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है।

'नो फर्स्ट यूज' पॉलिसी क्या है?

- भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत- पहले उपयोग नहीं है, (No First Use) जो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग बनाता है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता है।
- भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे।
- दुश्मन देश के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने का अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा जबकि नाभिकीय कमांड प्राधिकरण का सहयोग जरूरी होगा।
- जिन देशों के पास परमाणु हथियार नही हैं उन देशों के खिलाफ भारत अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जबाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा।
- भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु नि:शस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले 'प्रयोग न करने की नीति' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शीतयुद्ध के दिनों में निहित है। उस समय यूरोप के भीतर पारंपरिक सैन्य शक्ति में वारसा संधि (Warsaw Pact) को बड़ी बढ़त हासिल थी। उस समय नाटो (NAyO) ने सोवियत संघ के आक्रमण के दौरान पश्चिमी यूरोप को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में परमाणु हथियार के पहले इस्तेमाल के विकल्प को खुला रखा था। परंतु सोवियत संघ की सेना जिसे पारंपरिक लड़ाई में बढ़त हासिल थी, उसने सन 1983 में 'पहले इस्तेमाल न करने की नीति' अपना ली। सोवियत संघ का विभाजन होने और रूस की पारंपरिक बढ़त समाप्त होने के बाद रूस ने इस नीति को त्याग दिया। गौरतलब है कि भारत को भी पाकिस्तान पर पारंपरिक बढ़त हासिल है। ऐसे में यह नीति समझ में आती है।

भारत द्वारा परमाणु परीक्षण एवं वैश्विक जगत की प्रतिक्रिया

भारत ने पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम "स्माइलिंग बुद्धा" था। इसके बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था।

इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये थे लेकिन बाद में उन्हें यह सारी प्रतिबन्ध हटानी पड़ गई क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही भारत ने अपनी परमाणु नीति में यह घोषणा की कि हम अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ "पहले इस्तेमाल" नही करेंगे।

गौरतलब है कि मई, 1998 के इन परीक्षणों द्वारा बाद के घटनाक्रम को प्रबल रूप से प्रभावित करने का सिलसिला अब तक जारी है, क्योंकि इनकी बदौलत दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार सम्पन्न देशों भारत, चीन और पाकिस्तान का त्रिकोणीय समूह तैयार हुआ। ये देश न केवल विवादित क्षेत्रीय सीमाओं को साझा करते हैं, बल्कि उनके बीच एक दूसरे के प्रति ऐतिहासिक शत्रुता भी है। हालांकि भारत-पाकिस्तान परमाणु संपन्न देशों की तुलना में, भारत-चीन परमाणु समीकरण में कहीं ज्यादा स्थायित्व है। भारत और चीन ने कभी भी एक-दूसरे को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की परमाणु धमकी नहीं दी। परमाणु संबंधी ब्लैकमेलिंग एक-दूसरे के बारे में उन दोनों की सैन्य रणनीतियों का अंग कभी नहीं रही। दूसरी ओर, भारत और पाकिस्तान के बीच सभी सैन्य संकटों पर परमाणु हमले की छाया अटकी रही है।

भारत ने परमाणु प्रसार के क्रमिक मॉडल को अस्वीकार किया है परंतु भारत का परमाणु सम्पन्न बनने का महत्वपूर्ण कारण चीन की बजाए पाकिस्तान था। 1960 के दशक में चीन के परमाणु खतरे तथा 1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु खतरे के प्रति भारत की प्रतिक्रिया सीधे तौर पर बिल्कुल अलग थी। अक्टूबर, 1964 में चीन द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण भारत को अपना पहला परमाणु संपन्न पड़ोसी देश मिला।

सर्वप्रथम चीन की परमाणु क्षमता को सीधे तौर पर खतरा मानने की जगह, भारत ने चीन की परमाणु हथियार हासिल करने की जद्दोजहद को शीत युद्ध की महान ताकतों की परमाणु प्रतिद्वंद्विता माना। पाकिस्तान के संबंध में खतरे की अवधारणा बिल्कुल अलग थी: पाकिस्तान के परमाणु अभियान को दक्षिण एशिया में भारत के अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखा गया। आज भी, चीन के संबंध में भारत की सैन्य रणनीति मोटे तौर पर परम्परागत ही है। दूसरी ओर पाकिस्तान, क्षेत्रीय यथास्थिति को लगातार चुनौती देता आया है, यहाँ तक कि उस समय भी जबकि पाकिस्तान की सैन्य ताकत भारत की तुलना में कमजोर थी, और अभी भी है। इसलिए भारत के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे में परमाणु हथियारों ने सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष का सैन्य तरीके से समाधान ढूंढने की उसकी इच्छा को ही बल दिया है। चीन और पाकिस्तान से खतरे के बारे में भारत की धारणाओं में यह अंतर भारत-चीन सीमा पर हुए विभिन्न सैन्य संकटों का प्रमाण है। न तो चीन और न ही भारत ने कभी भी अपने किसी भी सैन्य संकट के दौरान एक-दूसरे को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कभी कोई परमाणु धमकी दी है, वे संकट पूरी तरह परम्परागत रहे हैं।

पाकिस्तान को लेकर भारत के ऐतिहासिक अनुभव ये रहे हैं कि उसने इन दोनों ही धारणाओं पर भारत को धोखा दिया है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता केवल भारत के खिलाफ रही है।

इसलिए, पाकिस्तान को रोकने के लिए, भारत की स्वदेशी परमाणु क्षमता होना आवश्यक था।

1974 के "शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट" के बाद, भारत के नीति निर्धारकों ने परमाणु हथियार बनाने की अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल हथियार बनाने में करने से परहेज किया और न ही उन्होंने परमाणु हथियार सम्पन्न देश का दर्जा हासिल करने का प्रयास किया। 1980 के दशक के मध्य तक, भारत ने "परमाणु हथियारों से परहेज" की नीति का पालन किया। जब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने परिपक्व होकर अस्तित्व के लिए खतरे का रूप ले लिया, तो भारत 'उत्प्रेक (कैटलिटिक)' प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो गया। 1988 में, भारत ने डिलिवरबल न्यूक्लियर आर्सेनल (प्रदान करने के लिए तैयार परमाणु शस्त्रागार) हासिल करने का फैसला किया। कुछ दशक के भीतर, उसने न केवल लड़ाकू विमानों पर आधारित अपनी न्यूक्लियर डिलिवरी क्षमता के पहले चरण को ऑपरेशनल कर दिया, बल्कि मई 1998 में सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण करके खुद को परमाणु हथियार सम्पन्न देश भी घोषित कर दिया।

नाभिकीय कमांड प्राधिकरण (NCA)

भारत की नाभिकीय कमांड प्राधिकरण भारत के परमाणु हथियारों के कमान, नियंत्रण एवं संचालन से संबंधित निर्णयों के लिए निर्मित प्राधिकरण है। एनसीए के शीर्ष पर राजनीतिक परिषद है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें रक्षा, गृह एवं विदेश मंत्री साथ ही सुरक्षा पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति के सभी मंत्रीगण सदस्य शामिल होते हैं। राजनीतिक परिषद से नीचे कार्यकारी परिषद होती है, जिसके प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) होते हैं और जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के कमांडर-इन चीफ और एक तीन-सितारा अधि कारी शामिल हैं।

नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का विश्लेषण

भारत की अमेरिका से नजदीकी, रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते और दक्षिण-पश्चिम एशिया में देशों के साथ सकारात्मक रूप से बदल रहे रिश्तों को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ही भारत के द्वारा उसकी परमाणु नीति के बदलाव के बाद ये देश किसी भी तरह का ऐतराज जताएंगे। लेकिन सच कहा जाए तो लम्बी अवधि में भारत को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में प्रवेश पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में नीति में अचानक बदलाव तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यानी कूटनीतिक दृष्टि से यह सही नहीं माना जा सकता। हाँ यह सही है कि हर नीति की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो बदलाव भी होना चाहिए। लेकिन यह बदलाव हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में न आकर अपनी जरूरतों के हिसाब से तय करें तो हमारे लिए अच्छा होगा।

भारत के पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जिनके पास आणविक अस्त्र हैं। चीन पहले ही यह नीति चला रहा है कि वह केवल प्रतिकार में ही आणविक अस्त्रों का प्रयोग करेगा। यह संभावना है कि वह अपनी इस नीति को बदलेगा नहीं। इसलिए यदि भारत अपनी नीति बदल देता है तो संभव है कि चीन इसका लाभ उठाकर पहले आक्रमण करने की नीति अपना ले और इसके लिए भारत पर आरोप मढ़ दे। इसका लाभ उठाकर चीन अमेरिका और रूस के प्रति भी अपना सिद्धांत बदल ले। भारत सदा अपने-आप को एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति-सम्पन्न देश के रूप में विश्व के समक्ष रखता आया है। अत: यदि वह फर्स्ट यूज की नीति अपनाएगा तो उसकी इस छवि को आघात पहुंचेगा। भारत की वर्तमान नीति के कारण ही पाकिस्तान और भारत अपने-अपने आणविक अस्त्रों को युद्ध स्तर पर सुसज्जित नहीं रखते हैं और अर्थात् ये अस्त्र डिलीवरी प्रणाली से जुड़े हुए नहीं हैं। इस कारण पाकिस्तान में आणविक आतंकवाद की सम्भावना कम रहती है और इस बात का भी खतरा कम होता है कि संयोगवश कोई आणविक हथियार चल नहीं जाए।

'नो फर्स्ट यूज (NFG) की नीति' संभवत: शांतिकाल का आश्वासन है, जो किसी देश की शांति और स्थायित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारीपूर्ण प्रकृति को दर्शाती है। हालांकि युद्धकाल में, अलग-अलग तरह के हालात भारत के वर्तमान परमाणु सिद्धांत के प्रभाव पर सवालिया निशान लगाने के साथ ही बदले की व्यापक कार्रवाई और एनएफयू की अवधारणाओं के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं।

'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के पक्ष में तर्क

- वर्तमान में भारत की 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के कारण भविष्य में कभी भी कोई देश यह मानकर भारत पर परमाणु हमला कर सकता है कि कहीं भारत उस पर पहले परमाणु बम का प्रयोग न कर दे।
- किसी भी देश का सामरिक ढाँचा हमेशा गतिशील और लचीला होना चाहिए। सन् 1999 से लेकर अब तक परिस्थितियाँ काफी बदल गई हैं।
- राजनीतिक-सामाजिक बदलाव, तकनीकी और सैन्य सुधार तथा शक्ति समीकरणों में पिछले कुछ दशक में देश के भीतर और बाहर सुरक्षा और सामरिक परिवेश में नए पहलू पैदा कर दिए हैं। पड़ोसी देश में सेना के जेहादीकरण और नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका में लगातार और बेरोकटोक वृद्धि ने भारत की सुरक्षा तैयारियों और जवाबी कार्रवाई करने की कार्यप्रणाली को मजबूत करना बेहद जरूरी बना दिया है।
- भारत के इस नीति पर बुनियादी ऐतराज इस बात को लेकर है कि ये परमाणु हथियार लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को डराने के लिए हैं। इसी सोच से इन हथियारों का अपने दुश्मन पर पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति जन्म लेती है जिससे न केवल स्थिर प्रतिरोध (डेटरेंस) को संस्थागत आधार मिलेगा बल्कि भारत नैतिक रूप से भी उच्च धरातल पर खड़ा रहेगा।
- परंतु इस नैतिकता एवं नीति से क्या फायदा जब इसका उपयोग हम तब करें जब हम पहले ही इसका हमला झेल चुके हों।
- अपनी अस्तित्वगत दुविधा के कारण पाकिस्तान अपने यहां भारत को स्थायी शत्रु की तरह देखने के राष्ट्रीय विचार को बनाए रखना चाहता है।
- उपर्युक्त उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि भारत को अपनी 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' में बदलाव करने की जरूरत है।

'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के विपक्ष में तर्क

- परमाणु हथियार को लेकर 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' भारत के हित में है। 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' से 'फर्स्ट यूज पॉलिसी' में परिवर्तित होना परमाणु युद्ध लड़ने की दिशा में पहला कदम साबित होगा।
- ये हथियार बहुत ही विनाशकारी हैं और इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- परमाणु हथियार का पहली बार उपयोग (First use) करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अनादर का सामना करना पड़ेगा और उस देश को आर्थिक रूप से काफी क्षति का सामना करना पड़ेगा।
- भारत के लिए 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' नामक सिद्धांत लागू करना काफी सस्ता है, जिसे हासिल करने के लिए कई आर्थिक लक्ष्य हैं।
- 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' भारत के लिए

अपेक्षानुरूप है क्योंकि यह राष्ट्र के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- साथ ही देश के समस्त नागरिकों के लिए समृद्धि का मार्ग भी सुनिश्चित करता है।
- भारत ने परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति अपनाकर दुनिया को यह दिखाया है कि वह आक्रामक देश नहीं है। भारत अगर आक्रामक परमाणु नीति अपनाता है तो उसके काफी नकारात्मक परिणाम होंगे।
- भारत की परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग न करने की नीति की वजह से ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश उसे यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन परमाणु नीति में बदलाव का इस पर बहुत असर पड़ेगा।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत को शांतिकाल और युद्धकाल दोनों के लिए दो अलग-अलग परमाणु सिद्धांतों की जरूरत है। पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु हथियार बनाने और चीन द्वारा त्वरित सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने जैसे घटनाक्रम दर्शाते हैं कि युद्धकाल के लिए अलग परमाणु सिद्धांत बनाया जाना काफी महत्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि युद्ध के समय परमाणु सिद्धांत की घोषणा किए जाने की आवश्यकता नहीं है और भारत द्वारा सार्वजनिक तौर पर शांतिकालीन सिद्धांत पर बल दिया जाना सही है। अपने शांतिकालीन परमाणु सिद्धांत में 'नो फर्स्ट यूज' जैसी मानक नीति ने भारत की जिम्मेदार परमाणु ताकत होने की छवि को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। जहाँ एक ओर भारत वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ एकीकरण का लगातार अनुसरण कर रहा है, वहीं एनएफयू का त्याग करना या फिर अपने शांतिकालीन सिद्धांत में परमाणु युद्ध लड़ने के विकल्पों का स्पष्ट रूप से हवाला देना उचित नहीं होगा।

भारत के परमाणु सिद्धांत पर बहस करने वाले सामरिक विशेषज्ञों को प्रतिरोध और रक्षा के उद्देश्यों के बीच अंतर करना होगा और इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत द्वारा घोषित परमाणु सिद्धांत, एक शांतिकालीन दस्तावेज है, इसलिए भारत के द्वारा परमाणु सिद्धांत को लेकर एक नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, भारत युद्धकाल के दौरान, प्रतिरोधकर्ता के विफल होते ही, रक्षा के लिए अपनी परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल के लिए विचार कर सकता है। हालांकि युद्धकालीन सिद्धांत के उन कारकों की पहचान करना महत्वपूर्ण होगा, जिनका उपयोग शांतिकालीन सिद्धांत में भारत की जिम्मेदारी परमाणु शक्ति होने संबंधी छवि को नुकसान पहुँचाए बिना किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

7. भारतीय वस्त्रोद्योग में मंदी : कारण व परिणाम

चर्चा का कारण

हाल ही मे नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स कॉर्पोरेशन (NITMA) द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार टेक्सटाइल सेक्टर मंदी की चपेट में आता जा रहा है। टेक्सटाइल मिलों के संगठन का दावा है कि न सिर्फ बड़ी तादाद में नौकरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि देशभर में अब तक एक-तिहाई मिलें बंद हो चुकी हैं। उनका कहना है कि भारतीय टेक्सटाइल उद्योग इस वक्त सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है।

पृष्ठभूमि

सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 ई. से हुई है, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। हालांकि पहली भारत की आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा की गई थी।

वर्तमान स्थिति

भारतीय वस्त्र उद्योग, अपनी समग्र मूल्य शृंखला, मजबूत कच्ची सामग्री तथा सशक्त विनिर्माण क्षमता के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है जहां एक तरफ गहन पूंजी वाले मिल उद्यम हैं वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्त उद्योग हैं। मिल क्षेत्र, 50 मिलियन स्पिंडल्स (Spindles) और 8,42,000 रोटर्स से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली 3400 वस्त्र मिलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे स्तर की विद्युतकरघा इकाई जैसे परंपरागत क्षेत्र, ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के सबसे बड़े स्रोत हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग के कृषि तथा देश की संस्कृति तथा परंपराओं के साथ नैसर्गिक संबंध हैं जो घरेलू तथा निर्यात बाजारों, दोनों के लिए उपयुक्त उत्पादों के बहुआयामी विस्तार को संभव बनाते हैं। वस्त्र उद्योग, मूल्य के रूप में उद्योग के आउटपुट में 7%, भारत की जीडीपी में 2% तथा देश की निर्यात आय में 15% का योगदान देता है। यह उद्योग कृषि के बाद प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात से प्राप्त आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उद्योग में कपास, प्राकृतिक और मानवनिर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र, बुना हुआ परिधान और अन्य परिधान शामिल हैं। भारत वर्तमान में वस्त्रों के कुल विश्व निर्यात में लगभग 4.5% की हिस्सेदारी रखता है।

हालांकि द नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अनुसार भारतीय कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति दयनीय है और लगातार इस क्षेत्र से नौकरियाँ खत्म होती जा रही हैं। पिछले 10 वर्षों में नौकरी कम होने की दर तेज गति से बढ़ी है। उद्योग जगत का कहना है कि सरकार की गलत रणनीति और निवेश में कमी के कारण वर्तमान में कई कपड़ा मिल बंद हो गये हैं। भारतीय बाजार में आयातित कपड़ों की भरमार है जिससे कि इस क्षेत्र का उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

- नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अनुसार निर्माताओं का औसतन उत्पादन 25-30% कम है। गौरतलब है कि 750 लाख स्पिंडल की स्थापित क्षमता के साथ उत्तरी क्षेत्र देश की कुल क्षमता में 15% का योगदान देता है। पंजाब, हरियाणा,

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 कताई इकाइयाँ हैं।

- टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मानना है कि ये इंडस्ट्री 2010-11 की तरह ही बड़े संकट से गुजर रही है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं- राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स और कई तरह की लेवीज की वजह से भारत का ऊन महंगा हो जाता है जिससे ये ग्लोबल मार्केट में प्रतियोगिता नहीं कर पा रहा है। साथ ही इंडस्ट्री को कर्ज भी महंगा मिल रहा है, कच्चा माल भी भारत में महंगा है, इसकी वजह से भारतीय मिलों को प्रति किलो 20-25 रुपये का नुकसान हो रहा है तथा बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से सस्ता इंपोर्ट भी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है।

इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय बाजार से बाहर ले जा रहे हैं और नये निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है।

जहाँ वर्तमान सरकार का दावा था कि वह देश में हर साल लाखों नौकरियाँ उत्पन्न करेगी वहीं सच्चाई इसके उलट नजर आ रही है। सूती टेल्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल के डाटा से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सूती धागे, कपड़े और कृत्रिम वस्त्र के निर्यात में लगभग 4% की गिरावट आई है। वर्तमान में मानव निर्मित फाइबर आधारित कपड़ा का अंशदान कुल कपड़ों की खपत में लगभग 65% है जबकि शेष 35% कपास आधारित है। भारत लगभग 80% कपास आधारित कपड़े का निर्यात करता है जबकि चीन लगभग 80% मानव निर्मित फाइबर आधारित कपड़े का निर्यात करता है जिसकी मांग विश्व में अधिक है।

भारत के सूती वस्त्र उद्योग का भौगोलिक वितरण

1. **महाराष्ट्रः** यह भारत में सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक राज्य है। मुंबई को "कॉटनपोलिस ऑफ इंडिया" भी बोला जाता है। कपड़ा उद्योग शोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, जलगाँव, अकोला, सांगली, नागपुर, सतारा, वर्धा, औरंगाबाद और अमरावती तक भी फैल हुआ है।
2. **गुजरातः** यह महाराष्ट्र के बाद सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अहमदाबाद को 'भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन' कहा जाता है और यह मुंबई के बाद सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र भी है। इस राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र सूरत, वडोदरा, भरूच, भावनगर, नाडियाड, पोरबंदर, राजकोट, नवसारी, मौरी और वीरमगाम हैं।
3. **तमिलनाडुः** चेन्नई, तिरुनेलवेली, मदुरै, तूतीकोरिन, सलेम, विरुदनगर और पोलाची इस राज्य के प्रमुख सूती कपड़ा केंद्र हैं। कोयंबटूर को 'दक्षिण भारत का मैनचेस्टर' कहा जाता है।
4. **उत्तरप्रदेशः** कानपुर, इटावा, मोदीनगर, मुरादाबाद, बरेली, हाथरस, आगरा, मेरठ और वाराणसी प्रमुख कपास उत्पादक केंद्र हैं। कानपुर को 'उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर' कहा जाता है।
5. **कर्नाटकः** बंगलुरू, बेलगाम, मंगलौर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा और मैसूर प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं।
6. **मध्य प्रदेशः** इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, देवास, उज्जैन, नागदा, भोपाल, जबलपुर और रतलाम प्रमुख कपास उत्पादक केंद्र हैं।
7. **राजस्थानः** कोटा, जयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, भवानीमंडी, उदयपुर और किशनगंज प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं।
8. **पश्चिम बंगालः** राज्य में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कोलकाता, हावड़ा, सीरमपुर, श्यामनगर, सैकिया, मुर्शिदाबाद, हुगली और पनिहार हैं।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में भारत के पास सस्ती और प्रचुर श्रम उपलब्ध है किन्तु वह इसका समुचित लाभ नहीं ले पा रहा है। यहाँ फैक्ट्रियों से माल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में लगने वाली लागत और समय बहुत अधिक है। इससे लागतों में वृद्धि होती है और उत्पादनकर्त्ताओं को नुकसान होता है।
- भारत में श्रम कानून भी जटिल है। न्यूनतम ओवरटाइम भुगतान की दरें और बड़े वैधानिक योगदान (भविष्य निधि, पेंशन फंड आदि) बहुत कम है। परिणामस्वरूप उनकी कुल मजदूरी आय में 45 प्रतिशत तक कमी रह जाती है।
- श्रम बाजार की समस्याओं के कारण ही भारत के परिधान उत्पाद, फर्मो के आकार चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की फर्मो से बहुत छोटे हैं। भारत में तो 78 प्रतिशत फर्मो में 50 से कम कर्मी कार्य कर रहे हैं, जबकि मात्र 10% में 500 से अधिक कर्मी हैं। इसके उलट चीन में यह अनुपात 15 और 28% हैं।
- उल्लेखनीय है कि चीन में मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण उनका परिधान बाजार से बाहर होता जा रहा है। इनका स्थान लेने के लिए वियतनाम और बांग्लादेश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि भारत के पास अवसर होने के बावजूद भी वह इनसे प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पा रहा है।
- परिधान के मामले में कर और सीमा शुल्क नीतियाँ ऐसी विकृतियों से भरी हैं कि भारत निर्यात में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाता है। इसके अलावा निर्यात बाजारों में विद्यमान भेदभाव भी इसका एक बड़ा कारण है।
- उद्योग निकाय ने आरोप लगाया है कि जीएसटी लागू होने से भी इस उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। राज्य और केन्द्रीय करों के कारण तथा साथ ही लेवी वसूलने के कारण भी यह उद्योग प्रतिस्पर्द्धा से बाहर है।
- कच्चे माल की उच्च लागत भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय मिलों को कच्चे माल पर अधिक खर्च करना पड़ता है जिससे कि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।
- इसके अलावा कुशल निर्यात बुनियादी ढ़ाचे में कमी, वित्त और विपणन सुविधाओं की कमी, नवाचार का अभाव आदि भी एक बड़ी चुनौती है।
- वर्तमान में वियतनाम, तुर्की एवं पेरू जैसे देशों ने अपने यहाँ कपड़ा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है जिससे कि भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही भारत में आयात शुल्क का कम होना भी एक चुनौती पेश करता है।

सरकारी प्रयास

- भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना है। साथ ही साथ कौशल तथा परंपरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं-

- **श्रम कानूनों में सुधारः** सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ता के 8.33% अंशदान की मौजूदा प्रतिपूर्ति के साथ साथ नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के 3.6% का वहन कर रही है। ओवरटाइम सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे प्रति तिमाही किया गया है जिससे कामगारों की आय में वृद्धि होगी।
- **ड्यूटी ड्रॉबैक कवरेज में वृद्धिः** यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत राज्य यदि लेवियों के रूप में पुनर्अदायगी नहीं कर पाया है तो अब उसकी पुनर्अदायगी केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयनः** संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपये के नये निवेश को प्रेरित करने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के सृजन का उद्देश्य रखा गया है।
- **एकीकृत कौशल विकास योजनाः** वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय 15 लाख अतिरिक्त कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके लिए सरकार ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैं।
- **एकीकृत वस्त्र पार्क योजनाः** यह योजना 10 वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वय में है। इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मोड पर किया जाता है जहाँ भारत सरकार वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के लिए सुविधाएं विकसित करने हेतु 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- **वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवासः** वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग के कामगारों को उद्योगों के उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों के नजदीक सुरक्षित पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है।
- **व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजनाः** इस योजना के तहत 15,000 से अधिक हथकरघों वाले कलस्टरों के लिए सरकार 40 करोड़ रुपये तक की निधि उपलब्ध करा रही है।
- **बुनकर मुद्रा योजनाः** इस योजना की शुरूआत हथकरघा बुनकरों को तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायती ऋण मार्जिन मनी सहायता और ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 में की गई थी। अभी तक 52059 बुनकर इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
- **शैक्षिक सुविधाएंः** बुनकरों को उनके अनुकूल शैक्षणिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए इग्नू तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके तहत मंत्रालय SC, ST, बीपीएल एवं महिला बुनकरों के मामले में फीस का 75% उपलब्ध कराती है।

आगे की राह

- टेक्सटाइल क्षेत्र वर्तमान में हो रहे परिवर्तन के साथ सामंजस्य बैठा सके, इसके लिए वर्ष 1999 की राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति के तर्ज पर ही हमें एक राष्ट्रीय टेक्सटाइल नीति बनाने की जरूरत है।
- भारत का टेक्सटाइल क्षेत्र के उत्पादन में सूती वस्त्रों का हिस्सा 70 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक टैक्सटाइल के उत्पादन में महज 30 प्रतिशत है। अतः सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।
- भारत को कपड़ा उद्योग में प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए अपने निर्यात नीति को बेहतर करना होगा और पड़ोसी देशों में अपने उत्पादित माल को अधिक से अधिक निर्यात करना होगा।
- सरकार को इस क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक फंडिंग की आवश्यकता है जिससे कि यह क्षेत्र मंदी से बाहर निकल सके।
- सरकार को टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा मांगी जा रही मांगों पर तुरंत ध्यान देना होगा और उनके उचित मांगों को पूरा करना होगा।
- वर्तमान में देश में हर क्षेत्र में खासकर सरकारी क्षेत्रों में नौकरियाँ कम हो रही हैं अतः बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने के लिए इन सभी क्षेत्र के विकास पर सरकार को ध्यान देना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत में पर्यटन क्षेत्र : विकास का एक बड़ा अवसर

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं? भारत में पर्यटन से जुड़ी चुनौतियों एवं समाधान पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ एकदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 19 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों, पर्यटन सचिवों और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत में पर्यटन की वर्तमान स्थिति

- वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म कांउसिल (डब्ल्यूटीटीसी), 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान मिला है।
- वर्ष 2017 में, पर्यटन से भारत ने लगभग 23 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया जिसे 2023 तक 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे जबकि 2014 में यही आँकड़ा 76.8 लाख था।

भारत में पर्यटन उद्योग की महत्ता

- वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करता है साथ ही अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। इसके महत्व का अनुमान केवल इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि विश्वभर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1950 के 2.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016 में 123 करोड़ हो गई है।

सरकारी प्रयास

- देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन योजना', विरासत स्थलों के विकास हेतु 'हृदय' योजना तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 'प्रसाद' योजना लाई गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोप-वे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया है।

चुनौतियाँ

- बुनियादी ढांचा का अभाव भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना, होटल, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि काफी हद तक भारत में विकसित होने की अवस्था में हैं।
- भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने में वैसी सफलता नहीं मिली है जैसा कि पश्चिम के देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों को मिली है।

आगे की राह

- सरकार को पर्यटन क्षेत्र के समस्त विकास के लिए समावेशी विकास के मुख्य चालक के रूप में कार्य करने की क्षमता वाले निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के बीच बेहतर जुड़ाव की जरूरत है। इन सबसे बढ़कर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ■

2. कैनबिस का वैधानिकीकरण : उचित या अनुचित?

प्र. कैनबिस से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "भारत में इसे वैध नहीं किया जाना चाहिए?" अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में आयुष विशेषज्ञों ने भांग (Cannabis) के चिकित्सीय प्रयोग को कानूनी मंजूरी देने की वकालत की है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थ भांग को मेडिकल उपयोग के लिए वैध बनाया जाए।

परिचय

- मारिजुआना धरती पर सबसे अधिक प्रचलित नशीला पदार्थ होता है। मारिजुआना (भांग-चरस- गांजा-हशीश) का दूसरा नाम कैनबिस भी है। यह कैनबिस सैटाइवा नाम के पौधे से प्राप्त होता है। इसे गांजा के पौधे से भिन्न-भिन्न विधियों (गांजा, चरस और भांग) से बनाया जाता है।

भारत की स्थिति

- भारत में मादक पदार्थों के संदर्भ में नारकोटिक ड्रग एवं सायकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) बनाया गया था, जिसे प्रभावी बनाने के लिए 2014 में संशोधन बिल लाया गया। इसके आधार पर 2015 में नया

कानून बनाया गया। यह एक्ट चरस, गांजा या फिर कैनबिस के दूसरे रूपों को पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। हालांकि इस कानून में कैनबिस की परिभाषा में भांग को नहीं जोड़ा गया है।

पक्ष में तर्क

- भारत में ब्रिटिश शासन के समय कैनबिस को लेकर लाइसेंस और कर की व्यवस्था थी लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान में मादक पदार्थो को लेकर विचार-विमर्श हो रहा था, तब अनुच्छेद-47, 48 को जोड़ा गया, जो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- उस समय तम्बाकू को लेकर भी बहस हुई लेकिन एक बार भी कैनबिस सैटाइवा पौधे का जिक्र नहीं हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माता भी कही न कहीं कैनबिस को गलत नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में कहीं कैनबिस के बारे में नहीं लिखा।

विपक्ष में तर्क

- कैनबिस के सेवन से बहुत ज्यादा अपराधिक घटनाएँ होती हैं। ऐसे में समाज में जो नशे के लिए कारण दिए जाते हैं, वो सब चीजें इस पर भी लागू होती हैं।,
- कैनबिस को वैधता देने से जो काम चोरी-छिपे होता है वह खुलेआम होने लगेगा जिसका गंभीर परिणाम समाज को हो सकता है।
- गौरतलब है कि ठीक इसी तरह जब सिगरेट के अंदर निकोटिन को लेकर बहस चल रही थी कि इसको वैधता दिया जाए या नहीं तब भी कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी इसके बावजूद इसे वैध किया गया। जिसके बुरे प्रभाव देखने को मिले रहे हैं।

आगे की राह

- सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि कैनबिस (भांग) का व्यावसायीकरण उस स्तर का ना हो सके जैसे अमेरिका में देखा जा रहा है। आज वहाँ कैनबिस को आइस्क्रीम सॉफ्ट ड्रिक्स आदि रूपों में परोसा जा रहा है।
- भारत सरकार को चाहिए कि वह बच्चों, युवा या फिर वे लोग जो किसी प्रकार कैनबिस का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें इसके गलत प्रभावों की जानकारी दे।
- सरकार को चाहिए कि वे उन लोगों को जो कैनबिस के आदि हो चुके हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य व सुविधा उपलब्ध करायें। ■

3. विश्व अंगदान दिवस 2019 और भारतः एक विश्लेषण

प्र. भारत में अंगदान के समक्ष आने वाली चुनौतियों को बताते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- 13 अगस्त 2019 को पूरे विश्व में अंगदान दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है।

भारत की वर्तमान स्थिति

- भारत में अंग प्रत्यारोपण करने की सुविधा अच्छी है लेकिन यहाँ पर अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। विश्व संदर्भ में देखें तो अंगदान करने के मामले में भारत दुनिया में बेहद पिछड़ा हुआ देश है। यहां प्रति दस लाख की आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं।

भारत में अंगदान की कानूनी स्थिति

- भारत सरकार ने मानव अंग अधिनियम (THOA), 1994 के प्रत्यारोपण को अधिनियमित किया, जो अंग दान की अनुमति देता है, और 'मस्तिष्क की मृत्यु' की अवधारणा को वैध बनाता है।

अंगदान से जुड़ी चुनौतियाँ

- सबसे बड़ा कारण समाज में अलग-अलग तरह के भ्रम या अंधविश्वास का प्रचलित होना है, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि अंगदान के बाद उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। लालच में डॉक्टर जानबूझ कर रोगी व्यक्ति को मृत घोषित कर सकते है। इसके अलावा शरीर का आकार संस्कार के लिए खराब न हो जाए आदि।

सरकारी प्रयास

- देशभर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू किया है। वहीं ब्रेन डेड से प्राप्त अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे नई दिल्ली में नोट्टो (राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) और पूरे भारत में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 5 अन्य रोट्टो (क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) स्थापित किए हैं।

आगे की राह

- अंग दान की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर सांस्कृतिक मान्यताओं, पारम्परिक सोच और कर्मकाण्डों की वजह से है। ऐसे में डॉक्टरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य जागरूक लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति लोगो को जागरूक करना चाहिए। ■

4. G7 सम्मेलन 2019 : एक अवलोकन

प्र. हाल ही में फ्रांस के बिआरित्ज शहर में हुए G7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें। साथ ही बताएँ कि यह अपने एजेंडे को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा है?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में फ्रांस की तरफ से भारत को 45वें G7 शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस साल 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के बिआरित्ज शहर में आयोजित किया गया।

परिचय

- G7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका न तो कोई मुख्यालय है और न ही सचिवालय। इसका कोई चार्टर भी नहीं है। समूह के सदस्य देश, विश्व के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता करने व उसका समाधान निकालने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं।

G7 शिखर सम्मेलन 2019 : प्रमुख मुद्दे

- इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय दुनिया भर में फैलती 'असमानता के विरुद्ध लड़ाई' थी। लेकिन 2019 का सम्मेलन

इसलिए अहम रहा क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते जलस्तर और डिजिटल जगत के परिवर्तन, व्यापार युद्ध, अमेजन के जंगलों में भड़की आग से संबंधित कई ज्वलंत और तात्कालिक मसलों पर बात हुई।

- अमेजन के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर सम्मेलन के अंतिम दिन चर्चा हुई और इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के 'ग्रीन लंग्स' पर हमला बताया गया। विदित हो कि इस सम्मेलन में बोल्सोनारो (ब्राजील के राष्ट्रपति) को पूंजीवादी स्वार्थपरक नीतियों का समर्थक बताया गया और अमेजन के जंगलों में लगी आग के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया।

चुनौतियाँ

- G7 समूह देशों के बीच आज भी कई मुद्दों को लेकर असहमतियाँ कायम हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते जलस्तर और डिजिटल जगत के परिवर्तन, व्यापार युद्ध, अमेजन के जंगलों में भड़की आग आदि।
- गौरतलब है कि पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। फ्रांस की सरकार व राजनीतिक समीक्षकों ने 44वें शिखर सम्मेलन को 'G6+1' सम्मेलन करार दिया था। 'G6+1' से अभिप्राय अमेरिका का अन्य सदस्य देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव से है।

आगे की राह

- समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका रही है। G7 के देश सबसे बड़े निर्यातक रहे हैं। इसके अलावा यह समूह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी मानवाधिकार सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार युद्ध आदि मुद्दे जीवंत हैं जिसके खिलाफ पूरे विश्व को संघर्ष करने की दरकार है।
- इन 7 देशों का दुनिया की 40 फीसदी जीडीपी पर कब्जा आदि। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने, व्यापार को सही दिशा में ले जाने एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को निभाने में G7 ने अग्रणी भूमिका निभाई है। ■

5. चीन की शिनजियांग समस्या : एक परिचय

प्र. चीन की शिनजियांग समस्या की चर्चा करते हुए वैश्विक जगत की प्रतिक्रिया एवं भारत के दृष्टिकोण की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन ने अपने अशांत मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में एक नई आतंकवाद रोधी विशेष अभियान इकाई गठित की है। इस प्रांत में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

परिचय

- चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाले शिनजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग रहते हैं। यह एक तुर्क जातीय समूह भी है इतिहास के जानकारी के मुताबिक उइगर पूर्वी और मध्य एशिया के इलाकों में रहते आये हैं।

विवाद के कारण

- जिस शिनजियांग प्रांत की बात चीन करता है दरअसल वहाँ उइगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और चीन ने इस प्रांत को स्वायत्त घोषित कर रखा है। इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस सहित आठ देशों के साथ मिलती है। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी एक करोड़ से ऊपर है।

अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्रतिक्रिया

- उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पश्चिमी देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। जेनेवा में मानवाधिकार निगरानी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने 22 पश्चिमी देशों की तरफ से चीन से अनुरोध किया कि वह उइगर मुस्लिमों की नजरबंदी खत्म करे और मानवाधिकार नियम लागू करे।

चीन का रुख

- चीन का तर्क है कि वह अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के हिंसक हमलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत ऐसा कर रहा है। चीन ने अशांत शिनजियांग क्षेत्र और बीजिंग समेत देश के कई अन्य हिस्सों में कई हिंसक हमलों के लिए ईटीआईएम को जिम्मेदार ठहराया है।

भारत का रुख

- चीन द्वारा शिनजियांग प्रांत में अपनायी जा रही नीतियों के प्रति भारत उदासीन रहा है। भारत ने आतंकवादी घटनाओं का कभी समर्थन नहीं किया है जबकि वह मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठाता रहा है।

निष्कर्ष

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस तरह आज चीन जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के साथ उठाकर भारत को मानवाधिकार विरोधी साबित करने पर तुला हुआ है, वहीं चीन खुद यह भूल रहा है कि वह उइगर मुसलमानों को री-एजुकेशन कैंप में बंदी बनाकर रखे हुए है। जबकि कश्मीर में किसी को कैंप में नहीं रखा गया है जो कानून बदले गए हैं वह उनकी भलाई के लिए किए गए हैं। ■

6. भारत की परमाणु नीतिः मूल्यांकन की आवश्यकता?

प्र. भारत की परमाणु नीति का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि क्या भारत को 'नो फर्स्ट यूज' पॉलिसी बदल देनी चाहिए? इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद पाकिस्तान से चल

रहे तनाव को लेकर भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज तक भारत की परमाणु नीति (Nuclear Policy) "नो फर्स्ट यूज" (No First Use) रही है। परन्तु भविष्य में भारत की नीति क्या होगी यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

'नो फर्स्ट यूज' पॉलिसी क्या है?

- भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत- पहले उपयोग नहीं है, (No First Use) जो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग बनाता है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता है।
- भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे।
- जिन देशों के पास परमाणु हथियार नही हैं उन देशों के खिलाफ भारत अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा।

नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का विश्लेषण

- भारत की अमेरिका से नजदीकी, रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते और दक्षिण-पश्चिम एशिया में देशों के साथ सकारात्मक रूप से बदल रहे रिश्तों को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ही भारत के द्वारा उसकी परमाणु नीति के बदलाव के बाद ये देश किसी भी तरह का ऐतराज जताएंगे। लेकिन सच कहा जाए तो लम्बी अवधि में भारत को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के पक्ष में तर्क

- वर्तमान में भारत की 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के कारण भविष्य में कभी भी कोई देश यह मानकर भारत पर परमाणु हमला कर सकता है कि कहीं भारत उस पर पहले परमाणु बम का प्रयोग न कर दे।
- किसी भी देश का सामरिक ढाँचा हमेशा गतिशील और लचीला होना चाहिए। सन् 1999 से लेकर अब तक परिस्थितियाँ काफी बदल गई हैं।

'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' के विपक्ष में तर्क

- परमाणु हथियार को लेकर 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' भारत के हित में है। 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' से 'फर्स्ट यूज पॉलिसी' में परिवर्तित होना परमाणु युद्ध लड़ने की दिशा में पहला कदम साबित होगा।
- ये हथियार बहुत ही विनाशकारी हैं और इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत को शांतिकाल और युद्धकाल दोनों के लिए दो अलग-अलग परमाणु सिद्धांतों की जरूरत है। पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु हथियार बनाने और चीन द्वारा त्वरित सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने जैसे घटनाक्रम दर्शाते हैं कि युद्धकाल के लिए अलग परमाणु सिद्धांत बनाया जाना काफी महत्वपूर्ण है।■

7. भारतीय वस्त्रोद्योग में मंदी : कारण व परिणाम

प्र. हाल ही में टेक्सटाइल क्षेत्र में नौकरियाँ तेज गति से कम हो रही है। इसके कारणों पर चर्चा करते हुए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही मे नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स कॉर्पोरेशन (NITMA) द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार टेक्सटाइल सेक्टर मंदी की चपेट में आता जा रहा है। टेक्सटाइल मिलों के संगठन का दावा है कि न सिर्फ बड़ी तादाद में नौकरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि देशभर में अब तक एक-तिहाई मिलें बंद हो चुकी हैं।

वर्तमान स्थिति

- भारतीय वस्त्र उद्योग, अपनी समग्र मूल्य शृंखला, मजबूत कच्ची सामग्री तथा सशक्त विनिर्माण क्षमता के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है जहां एक तरफ गहन पूंजी वाले मिल उद्यम हैं वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्त उद्योग हैं।
- कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात से प्राप्त आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उद्योग में कपास, प्राकृतिक और मानवनिर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र, बुना हुआ परिधान और अन्य परिधान शामिल हैं। भारत वर्तमान में वस्त्रों के कुल विश्व निर्यात में लगभग 4.5% की हिस्सेदारी रखता है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में भारत के पास सस्ती और प्रचुर श्रम उपलब्ध है किन्तु वह इसका समुचित लाभ नहीं ले पा रहा है। यहाँ फैक्ट्रियों से माल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में लगने वाली लागत और समय बहुत अधिक है। इससे लागतों में वृद्धि होती है और उत्पादनकर्त्ताओं को नुकसान होता है।
- भारत में श्रम कानून भी जटिल है। न्यूनतम ओवरटाइम भुगतान की दरें और बड़े वैधानिक योगदान (भविष्य निधि, पेंशन फंड आदि) बहुत कम है। परिणामस्वरूप उनकी कुल मजदूरी आय में 45 प्रतिशत तक कमी रह जाती है।

सरकारी प्रयास

- श्रम कानूनों में सुधार, ड्यूटी ड्रॉबैक कवरेज में वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, एकीकृत कौशल विकास योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास, व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना, बुनकर मुद्रा योजना, शैक्षिक सुविधाएं।

आगे की राह

- टेक्सटाइल क्षेत्र वर्तमान में हो रहे परिवर्तन के साथ सामंजस्य बैठा सके, इसके लिए वर्ष 1999 की राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति के तर्ज पर ही हमें एक राष्ट्रीय टेक्सटाइल नीति बनाने की जरूरत है।
- भारत का टेक्सटाइल क्षेत्र के उत्पादन में सूती वस्त्रों का हिस्सा 70 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक टैक्सटाइल के उत्पादन में महज 30 प्रतिशत है। अत: सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।
- भारत को कपड़ा उद्योग में प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए अपने निर्यात नीति को बेहतर करना होगा और पड़ोसी देशों में अपने उत्पादित माल को अधिक से अधिक निर्यात करना होगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग

गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या है?

2.1 गुरुत्वाकर्षण लेंस अंतरिक्ष में किसी बड़ी वस्तु के उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें वह वस्तु अपने पास से गुजरती हुई रोशनी की किरणों को मोड़कर एक लेंस जैसा काम करती है।

2.2 भौतिकी के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की वजह से कोई भी वस्तु अपने इर्द-गिर्द के व्योम (दिक् काल या स्पेस-टाइम) को मोड़ देती है और बड़ी वस्तुओं में यह मुड़ाव अधिक होता है।

2.3 जिस प्रकार चश्मे, दूरबीन के मुड़े हुए शीशे से गुजरता हुआ प्रकाश भी मुड़ जाता है। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण लेंस से गुजरता हुआ प्रकाश भी मुड़ जाता है।

2.4 गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक ब्रह्माण्डीय दूरबीन हैं। यह दूरबीन ब्रह्माण्ड में छुपे कई रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करता है। इसी लेंसिंग की वजह से वैज्ञानिक जान पाए हैं कि ब्रह्माण्ड में डार्क मेटर (Dark matter) भी उपस्थित है।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में नासा के वैज्ञानिक मशीन के रूप में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नये सितारे कैसे पैदा होते हैं। इसके लिए वे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक एक प्राकृतिक घटना की मदद लेंगे।

लेंस का कार्य

3.1 गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आवर्धक लेंस (Magnifying glass) की तरह कार्य करता है जो चीजों को बड़ा दिखाने में सहायक होता है।

जेम्स वेब टेलीस्कोप

4.1 जेम्स वेब टेलीस्कोप बेरिलियम धातु से बना हुआ है, जिसका दर्पण 18 भागों में बंटा हुआ है। इसके दर्पण पर सोने की महीन परत चढ़ाई गई है ताकि इंफ्रारेड परावर्तन अनुकूल हो सके। टेलीस्कोप का नाम नासा के वैज्ञानिक जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है।

4.2 यह नासा (NASA), यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency&ESA) और कनाडाई स्पेस एजेंसी (Canadian Space Agency&CSA) के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है।

4.3 इस टेलिस्कोप में इन्फ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन समस्या यह है कि यह सूरज की रोशनी से खराब हो सकते हैं। हीट से बचाने के लिए इसमें एक खास तरह की सनशील्ड तैयार की गई है।

4.4 सूरज की गर्मी से बचाने के लिए एक टेनिस कोर्ट के आकार की यह पांच लेयर वाली सनशील्ड है। इंसानों के बालों से भी सूक्ष्म हर लेयर, अगली लेयर से ठंडी है।

जेम्स वेब का टेलीस्कोप उद्देश्यें

5.1 उस गैलेक्सी या प्रकाशमान वस्तु की खोज जो बिग-बैंग के बाद सबसे पहले बनी। साथ ही इस बात का निर्धारण करना कि गैलेक्सियों के निर्माण से अब तक उनका विकास किस तरह हुआ।

5.2 तारों के निर्माण के प्रथम चरण से ग्रहीय व्यवस्था के विकास तक की प्रक्रिया का अवलोकन करने के साथ ग्रहीय व्यवस्थाओं के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन और उन पर जीवन की संभावना तलाश करना।

जल गुणवत्ता के अदृश्य संकट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट– Quality Unknown: The Invisible Water Crisis के अनुसार नदियों और जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास की गति को एक तिहाई तक कम कर सकता है।

1.2 इस रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि जल की खराब गुणवत्ता एक ऐसा संकट है जिससे मानवता और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 रिपोर्ट के अनुसार कुछ क्षेत्रों में नदियों और झीलों में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें आग लगने से धुंआ निकल रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत के बंगलूरू महानगर की बेल्लनडुर झील का जिक्र किया गया है जहाँ से छह मील दूर स्थित इमारतों में भी राख देखी गई है।

2.2 विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कीटाणुओं, सीवर, रसायनों और प्लास्टिक के मिश्रण से नदियों, झीलों और जलाशयों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है और पानी जहर में तब्दील हो रहा है।

2.3 रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जल गुणवत्ता पर निगरानी केंद्रों, रिमोट सेन्सिंग तकनीक और मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल किया गया है।

2.4 तत्काल कार्रवाई के अभाव में जल की गुणवत्ता का बिगड़ना जारी रहेगा जिससे मानवीय स्वास्थ्य पर असर पड़ने के साथ-साथ खाद्य उत्पादन में भी भारी कमी आएगी। साथ ही वैश्विक आर्थिक प्रगति में अवरोध खड़े हो जाएंगे

उर्वरक के प्रभाव पर चिंता

3.1 कृषि में खाद के रूप में नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर विशेष रूप से चिंता जताई गई है क्योंकि इससे जल में घुलने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। नाइट्रोजन के नदियों, झीलों और महासागरों में प्रवेश करने से यह नाइट्रेट में तब्दील हो जाता है।

3.2 छोटे बच्चों के लिए नाइट्रेट बेहद नुकसानदेह होता है जिससे उनके बढ़ने की क्षमता और मस्तिष्क के विकास पर असर पड़ता है। इससे प्रभावित बच्चों के भविष्य में धन कमाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और उनकी संभावित कमाई में कम से कम दो प्रतिशत की कमी आ सकती है।

3.3 इस रिपोर्ट में जल के अंधाधुंध दोहन, बढ़ते खारेपन, सूखे, तबाही लाने वाले भीषण तूफानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इन सभी वजहों से कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

3.4 रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि पानी के खारेपन की वजह से हर वर्ष 17 करोड़ लोगों का पेट भरने लायक भोजन गंवाया जा रहा है।

बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड

4.1 जल की गुणवत्ता घटने का दंश झेलने वाले देशों में आर्थिक संभावनाओं में एक-तिहाई की कमी का अनुमान 'बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड' (बीओडी) पर आधारित है।

4.2 जल में जैविक प्रदूषण को 'बीओडी' के जरिए मापा जा सकता है और इससे परोक्ष रूप से जल की गुणवत्ता का भी पता चलता है।

4.3 जब 'बीओडी' एक निश्चित सीमा को पार करता है तो स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्रों पर असर पड़ता है।

पर्यावरण की बेहतरी के लिए नीतियां

5.1 वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट सुधार की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालती है, इस रिपोर्ट में उन उपायों का भी जिक्र किया गया है जिनको अपनाकर प्रभावित देश जल की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।

5.2 इनमें सबसे पहले पर्यावरण की बेहतरी के लिए नीतियां और मानकों को लागू करने पर बल दिया गया है, उसके साथ ही प्रदूषण के स्तर की सटीक निगरानी, प्रभावी प्रणालियों को लागू करने, जल शोधन के ढांचे में मदद के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने; जल की शुद्धिकरण के लिए नयी तकनीकों को अपनाने और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय व सटीक सूचना प्रदान करने पर जोर दिया गया है ।

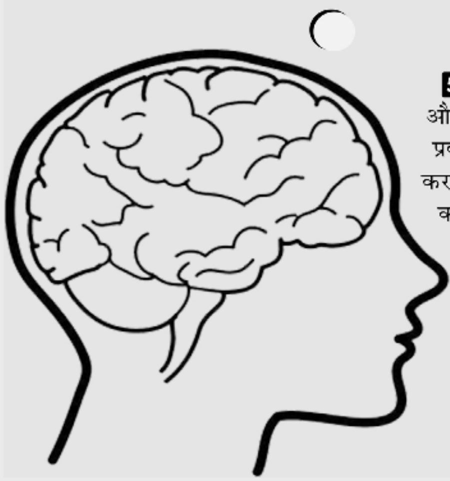

भारत और बाल्टिक देश

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन बाल्टिक देशों -लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की यात्रा संपन्न की है । इन तीन देशों में भारत के उपराष्ट्रपति की यह प्रथम यात्रा थी

1.2 तीनों बाल्टिक देशों ने उपराष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि विविध बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ मिलकर कार्य करेंगे तथा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

भारत -लातविया

2.1 1991 में दोनों राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद लातविया और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

2.3 भारत लातविया के साथ व्यापार, निवेश, संस्कृति, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.3 भारत और लातविया के बीच संबंध मधुर और व मित्रतापूर्ण हैं, तथा लोकतंत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। लातविया के लोगों की भारतीय संस्कृति में लोकप्रिय रूचि ने संबंधों को मजबूत किया है।

भारत - एस्टोनिया

3.1 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। एस्टोनिया की आईटी क्षमताओं और व्यापक नवाचार माहोल को देखते हुए भारत और एस्टोनिया की साइबर सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में आईटी कंपनियों के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी के निर्माण की व्यापक संभावना है।

3.2 एस्टोनिया की ई-निवास योजना के तहत 2200 भारतीयों को एस्टोनिया के ई-निवासी बनने में मदद मिली है। इससे भारतीय कंपनियों और उद्यमियों को बाल्टिक, नॉर्डिक और यूरोपीय बाजारों में प्रवेश के लिए एस्टोनियो को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने में मदद मिलेगी।

3.3 भारत और एस्टोनिया के बीच 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है।

3.4 उपराष्ट्रपति एस्टोनिया के व्यापारियों को भारत के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ उठाने तथा भारत, दक्षिण एशिया, यूरोप और एशिया में पहुंच बनाने के लिए भारत में विनिर्माण करने के बारे में विचार करने के लिए कहा।

3.5 उपराष्ट्रपति की यात्रा के अवसर पर साइबर सुरक्षा और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता की छूट के बारे में भारत और एस्टोनिया के अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ई-गवर्नेस के बारे में भी एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत - लथुआनिया

4.1 भारत का बाल्टिक देशों के साथ एक ऐतिहासिक और भाषाई जुड़ाव रहा है। लेजर, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में लिथुआनिया भारत का प्रमुख प्रौद्योगिकी सहयोगी बन सकता है।

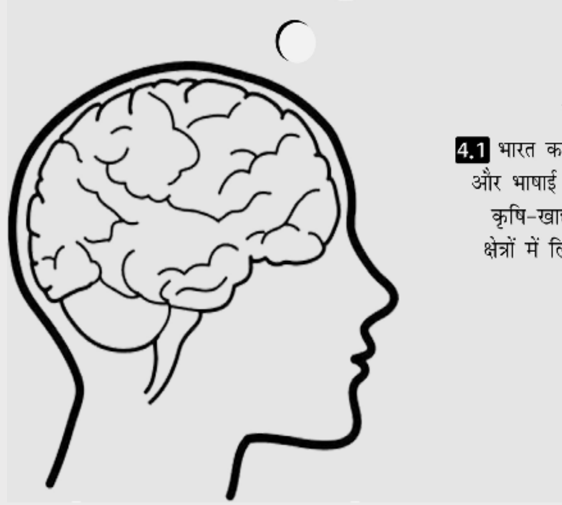

भारत- भूटान सम्बन्ध

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय भूटान की यात्रा संपन्न हुई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने न केवल भूटान की राजसत्ता से वार्ता की है बल्कि भूटान की नई पीढ़ी को भी संबोधित किया है।

1.2 भूटान की भू-राजनीतिक अवस्थिति, भारत के भूटान के साथ अनूठे संबंध और भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती प्रदान करती है।

भारत के लिए भूटान महत्वपूर्ण क्यों

2.1 भारत का भूटान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहता है। वहां के हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट में भारत का निरंतर सहयोग रहा है, जो भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

2.2 भूटान एक छोटा-सा पर प्राकृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है। चीन के सामरिक दृष्टिकोण से भी भूटान एक अति महत्वपूर्ण देश है। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान और नेपाल में अपनी धाक को कायम कर रखा है और भारत के हितों को बलि चढ़ा रखा है उसी तरह चीन भूटान में अपनी धाक कायम करना चाहता है।

2.3 चीन भूटान में सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने सामरिक ठिकाने बनाने की इच्छा रखता है, वह उसके जलक्षेत्रों का दोहन कर बिजली उत्पादन करना चाहता है।

2.4 उल्लेखनीय है कि पठारी क्षेत्र होने के कारण भूटान के पास अपार जल क्षेत्र है जहां पर बिजली की अपार संभावनाएं हैं। भारत और भूटान के बीच जल-बिजली समझौते के अनुसार कई जल परियोजनाएं जारी हैं। जल-बिजली परियोजनाओं के कारण भूटान की अर्थव्यवस्था भी स्थिर और प्रगतिशील है।

सांस्कृतिक संबंध

3.1 भूटान और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों से महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति एक है, विरासत भी एक है।

3.2 बौद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला भूटान भारत के साथ संबंध को हमेशा से प्राथमिकता देता रहा है। आज कई देशों के कूटनीतिक संबंध लोभ-लालच पर टिके हुए हैं, समय के अनुसार देश पाला बदलते रहे हैं पर भूटान ऐसे देशों में नहीं है।

3.3 नैतिकता इस दृष्टि से है कि भूटान हमेशा भारत के प्रति ईमानदारी दिखाता रहा है। चीन के लालच और धमकियों के बाद भी उसने भारत के साथ दोस्ती नहीं तोड़ी, बल्कि भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। दोस्ती से न केवल भारत को लाभ है, बल्कि भूटान भी खुद अपने नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाने की राह पर अग्रसर है।

दोस्ती का सामरिक महत्व

4.1 भूटान को यह एहसास है कि भारत की दोस्ती ही उसके अस्तित्व को बचा सकती है। चीन द्वारा भूटान में अराजकता फैलाने और भूटान की सम्प्रभुत्ता को रौंदने की उसकी सभी कोशिशें इसलिए विफल साबित हुई क्यों कि भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहा है।

4.2 गौरतलब है कि चीन ने एकाएक डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। डोकलाम प्रकरण से भूटान की सम्प्रभुत्ता खतरे में थी। डोकलाम में चीनी गतिविधियां सामरिक चुनौतियों को बढ़ावा दे रही थीं, साथ भारत की सम्प्रभुत्ता भी खतरे में पड़ने वाली थी। ऐसी स्थिति में भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया।

4.3 भारत ने अपना कर्त्तव्य देखा, छोटे भाई भूटान के अस्तित्व और संप्रभुता पर आई आंच को महसूस किया। भारत ने चीन को आईना दिखाया। डोकलाम में चीन को आगे बढने से रोक दिया। भारतीय सैनिकों ने कई दिनों तक चीन की शक्तिशाली सेना को आगे बढने से रोके रखा।

4.4 भारत का दृष्टिकोण हमेशा पड़ोसी हित को लूटने का नहीं, बल्कि पड़ोसी हित की रक्षा करने का है। इसी कारण आज बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मालदीव हमारे अच्छे पड़ोसी और अच्छे मित्र हैं।

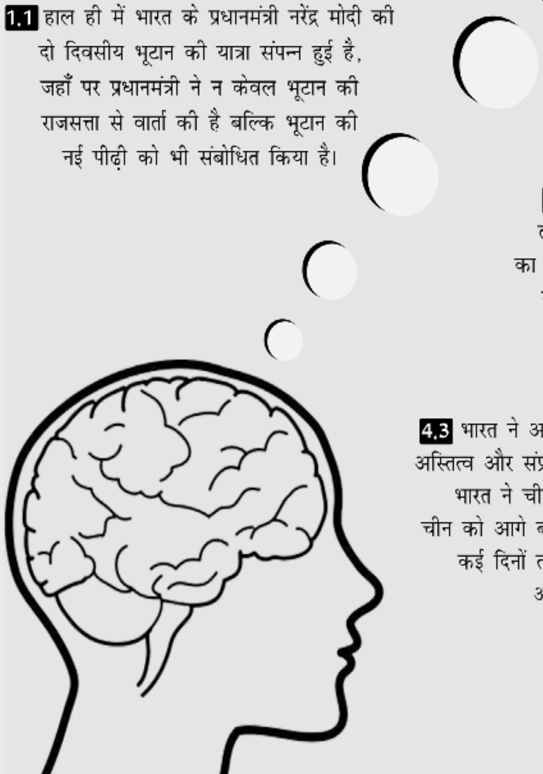

शादी की एक समान उम्र

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने युवक और युवतियों की शादी की एक समान उम्र करने की मांग करने वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय विधि मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

2.1 सन 1860 में बने इंडियन पीनल कोड में 10 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाना गैरकानूनी बनाया गया। लेकिन शादी को लेकर इसमें कोई जिक्र नहीं था। भारत में शादी की उम्र को लेकर पहले धर्म के आधार पर कानून बनाए गए थे।

याचिकाकर्ता के तर्क

3.1 याचिका में कहा गया है कि युवक और युवतियों की शादी की न्यूनतम आयु में फर्क करना हमारे पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता को दर्शाता है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है।

3.2 याचिकाकर्ता ने उम्र के इस अंतर के भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है।

3.3 यह प्रावधान युवतियों के साथ भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि बाल विवाह प्रतिबंधक कानून, 2006 के अनुसार पुरुषों की शादी करने की उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं की शादी करने की उम्र 18 वर्ष है। यह प्रावधान लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के साथ साथ महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

3.4 याचिका में कहा गया है यह एक सामाजिक सच्चाई है कि शादी के बाद महिला को अपने पति से कम आंका जाता है और उसमें उम्र का अंतर और भेदभाव बढ़ाता है।

विधि आयोग के सुझाव

4.1 पिछले वर्ष विधि आयोग ने कहा, कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए। वयस्कों के बीच शादी की अलग-अलग उम्र की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए।

4.2 बालिग होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

4.3 आयोग ने कहा कि जब 18 वर्ष के युवक को अपने देश की सरकार चुनने के लिए परिपक्व माना जा सकता है तो यह भी माना जाना चाहिए कि वह अपनी पत्नी चुनने के लिए भी समझदार है। पति की उम्र पत्नी से अधिक होना घिसी पिटी अवधारणा है।

4.4 आयोग ने कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशन में रहने वाले युगल के बच्चों को वैध माना जाना चाहिए। उन्हें माता-पिता की अर्जित संपत्तियों का वारिस करार दिया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-16 में जगह मिलनी चाहिए।

शादी के प्रकार

5.1 भारत में कानूनी तौर पर शादी के तीन प्रकार माने गए हैं। पहली है वॉइड मैरिज जिसे शून्य विवाह कहा जाता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हुई शादी पूरी तरह अमान्य होती है।

5.2 इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता है। जैसे कानूनी तौर पर मान्य निम्नतम आयु से कम उम्र में किए गए विवाह अमान्यकरणीय होते हैं। अदालत में इनकी वैधता नहीं होती। बाल विवाह इसी के तहत आते हैं।

5.3 तीसरा स्वरूप वॉइडेबल मैरिज यानी अमान्यकरणीय विवाह। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें विवाह के आधार शून्य विवाह वाले हो सकते हैं लेकिन परिस्थितियों को देखने के बाद कोर्ट तय करता है कि यह वॉइड मैरिज है या वैलिड मैरिज है।

5.3 वैलिड मैरिज या मान्य विवाह- कानूनी तौर पर सारी जरूरतों को पूरा कर रहीं शादियां इसके तहत आती हैं।

अमेजन वन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेजन कें जंगलों में लगी आग के बाद से पूरे विश्व में एक बार फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा हावी हो गया है।

अमेजन

2.1 अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। दुनिया को करीब 20 फीसद ऑक्सीजन इसी जंगल से मिलती है। ये जंगल ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में समर्थ हैं।

2.2 अमेजन जंगल दुनिया के नौ देशों में फैला हुआ है। इनमें कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाइडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं।

2.3 यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यहां के पेड़ इतने घने और बड़े हैं कि यहां की जमीन धूप को भी तरस जाती है। यहां पर हजारों किस्म के पेड़ और पौधे हैं जिनमें से कुछ जीवनदायी हैं तो कुछ जानलेवा भी हैं।

2.4 इसके अलावा यहां पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों में कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कहीं और नहीं देखा गया। यहां के कीड़े भी इंसान की जान ले सकते हैं।

2.5 बुलेट चींटी यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर 3 हजार से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां पाई जाने वाली टारांटुला मकड़ी बेहद खतरनाक मानी जाती है। इसके जहर से इंसान की जान तक जा सकती है।

2.6 अमेजन के जंगल यहां पर रहने वाले आदिवासियों के लिए भी जाने जाते हैं। यहां पर करीब 400 आदिवासी जातियां रहती हैं।

2.7 इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। यहां पर रहने वाली जनजातियां आज भी अपने मूल स्वरूप में ही अपना जीवन जीती हैं।

आग के 72 हजार से अधिक मामले

3.1 अमेजन के जंगल में लगी आग को लेकर ब्राजील की स्पेस एजेंसी नेशनल इंस्टींट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के मुताबिक आग लगने के इस वर्ष 72843 मामले सामने आ चुके हैं।

3.2 अमेजन के जंगल में आग लगने की घटनाओं में करीब 83 फीसद तक बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़े बेहद चौकाने वाले हैं।

3.3 नासा की तस्वीरों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेजन बेसिन में ही केवल इस बार 9507 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

जंगल की आग से कई देश परेशान

4.1 अमेजन की आग से सिर्फ ब्राजील ही प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि पेरू के सीमावर्ती राज्य भी इसकी मार झेल रहे हैं। ब्राजील के माटो ग्रासो और पारा में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं।

4.2 मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यहां पर खेती के लिए धड़ल्ले से जंगलों को काटा जा रहा है। ऐसा करने वालों में यहां का स्थानीय लकड़ी माफिया भी शामिल है।

4.3 जानकार मानते हैं कि अमेजन के जंगल में गर्मियों में आग लगना सामान्य घटना हो सकती है। लेकिन, यदि इसके अलावा इस तरह की भीषण आग लगती है तो इसकी वजह या तो मानवीय भूल हो सकती है या फिर षड्यंत्र।

प्रभाव

5.1 आग से बड़े पैमाने पर कार्बन डाईऑक्साइड पैदा हो रहा है। इस साल अभी तक 228 मेगाटन के बराबर कार्बन डाईऑक्साइड पैदा हुई, जोकि 2010 के बाद सर्वाधिक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पैदा हो रही है, जोकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के जलने से पैदा होती है।

5.2 वनस्पति और जीव जंतुओं की 30 लाख प्रजातियों और 10 लाख मूलनिवासियों के आवास वाले अमेजन बेसिन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इसके जंगल हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को सोख लेते हैं।

5.3 लेकिन जब पेड़ काटे या जलाए जाते हैं, उनके अंदर जमा हुआ कार्बन वायुमंडल में चला जाता है और वर्षावन की कार्बन अवशोषण की क्षमता भी जाती रहती है।

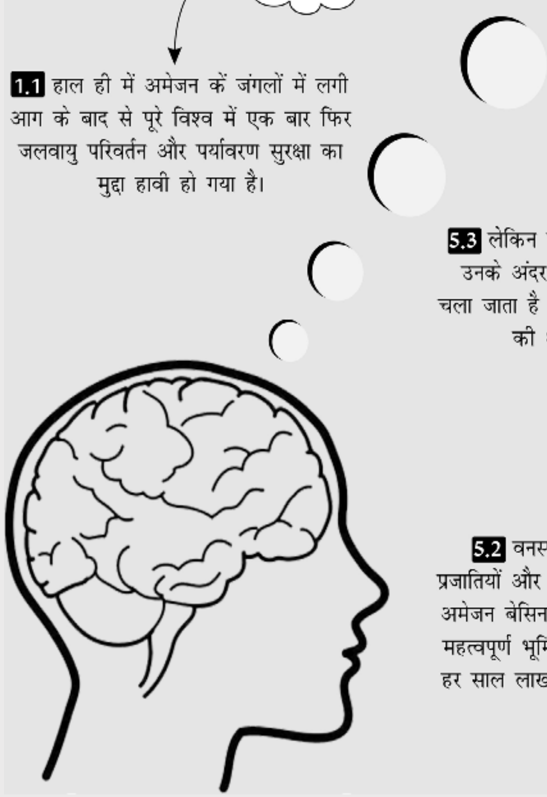

अर्थव्यवस्था को गति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने, कारोबार को आसान करने और उद्योगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं।

स्टार्टअप्स के लिए

2.1 चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच उद्यमियों और स्टार्टअप्स को एक बड़ी राहत देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों पर लागू 'एंजेल टैक्स' का प्रावधान वापस लिया जाता है।

2.2 डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) के तहत पंजीकृत स्टार्टअप्स पर आयकर अधिनियम की धारा 56 2(बी) लागू नहीं होगी।

वैश्विक विकास दर

3.1 सरकार ने कहा कि वैश्विक विकास दर भी नीचे जा रही है और अब दुनिया की संशोधित विकास दर 3.2 फीसदी है। भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर अभी भी दूसरों से ज्यादा है।

3.2 इसके अलावा वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

फेसलेस टैक्स स्क्रुटनी

4.1 सरकार ने इस दौरान उद्योग जगत को दिलासा देते हुए कहा कि 'सरकार वेल्थ क्रियेटर्स (पूंजीपतियों) का सम्मान करती है और हड़बड़ी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे उनको नुकसान हो।

4.2 सरकार ने कहा कि विजयादशमी के बाद से फेसलेस (कंप्यूटर द्वारा) टैक्स स्क्रुटनी की जाएगी, ताकि करदाताओं को प्रताड़ित नहीं किया जा सके और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे।

4.3 सरकार ने कहा कि सरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिफंड प्रक्रिया में आ रही परेशानियों और उससे जुड़ी खामियों की पहचान में जुटी है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके।

इंडस्ट्री को राहत पैकेज

5.1 सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें। घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा।

आसान किया कारोबार करना

6.1 लोन क्लोज होने के बाद सिक्योरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा।

6.2 31-03-20 तक खरीदे गए BS-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक बने रहेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

जीएसटी रिफंड 30 दिन में

7.1 सभी एसएसएमई के सभी पुराने पेंडिंग जीएसटी रिफंड 30 दिनों में दिए जाएंगे। इससे एसएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि कई छोटी इंडस्ट्री के जीएसटी रिफंड एक-एक साल से लटके हुए हैं।

7.2 भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड का मामला सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा

एफपीआई कर वापस

8.1 सरकार ने बजट में घोषित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) पर विवादास्पद कर सरचार्ज वापस लेने की घोषणा की। सरकार ने कहा कि फाइनेंस एक्ट, 2019 के तहत दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजी लाभ पर वसूला गया बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस लिया जाता है।

ऑटो सेक्टर

9.1 सरकार अपने सभी विभागों को पुराने वाहनों को बदलकर नये वाहन खरीदने के लिए कहेगी। ऑटो सेक्टर की बिक्री लगातार गिर रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने जो उपाय घोषित किए हैं, उससे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।

अन्य उपाय

9.1 ऑटो, होम व पर्सनल लोन लेने वालों को आरबीआइ की ब्याज दरों में कटौती का लाभ मिले, इसके लिए बैंक रेपो रेट से लिंक लोन प्रोडक्ट लांच करेंगे। साथ ही एमएसएमई पर बकाया लोन के मामले सुलझाने के लिए बैंक पारदर्शी वन टाम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे।

9.2 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग एक इंटर-मिनिस्टियल टास्क फोर्स का गठन कर रहा है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग वैज्ञानिकों द्वारा उत्पन्न की गई ऐसी घटना है, जिसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि नये सितारे कैसे पैदा होते हैं।
2. गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में नासा के वैज्ञानिक मशीन के रूप में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नये सितारे कैसे पैदा होते हैं। इसके लिए वे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक एक प्राकृतिक घटना की मदद लेंगे। गुरुत्वाकर्षण लेंस अंतरिक्ष में किसी बड़ी वस्तु के उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें वह वस्तु अपने पास से गुजरती हुई रोशनी की किरणों को मोड़कर एक लेंस जैसा काम करती है। गुरुत्वाकर्षण लैसिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक ब्रह्माण्डीय दूरबीन है। यह दूरबीन ब्रह्माण्ड में छुपे कई रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करता है। इसी लेंसिंग की वजह से वैज्ञानिक जान पाए हैं कि ब्रह्माण्ड में डार्क मेटर (Dark matter) भी उपस्थित है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आवर्धक लेंस (Magnifying glass) की तरह कार्य करता है जो चीजों को बड़ा दिखाने में सहायक होता है।इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

2. जल गुणवत्ता के अदृश्य संकट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जल में जैविक प्रदूषण को 'बीओडी' के जरिए मापा जा सकता है और इससे परोक्ष रूप से जल की गुणवत्ता का भी पता चलता है।
2. जब 'बीओडी' एक निश्चित सीमा को पार करता है तो स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्रों पर असर पड़ता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट- Quality Unknown: The Invisible Water Crisis के अनुसार नदियों और जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास की गति को एक तिहाई तक कम कर सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि पानी के खारेपन की वजह से हर वर्ष 17 करोड़ लोगों का पेट भरने लायक भोजन गंवाया जा रहा है। जल की गुणवत्ता घटने का दंश झेलने वाले देशों में आर्थिक संभावनाओं में एक-तिहाई की कमी का अनुमान 'बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड' (बीओडी) पर आधारित है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

3. भारत और बाल्टिक देश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत और लातविया के बीच राजनयिक संबंध 2005 में स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध ठीक नहीं रहे हैं।
2. एस्टोनिया बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ तीन बाल्टिक देशों -लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की यात्रा संपन्न की है । इन तीन देशों में भारत के उपराष्ट्रपति की यह प्रथम यात्रा थी। तीनों बाल्टिक देशों ने उपराष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि विविध बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ मिलकर कार्य करेंगे तथा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प भी व्यक्त किया। भारत का बाल्टिक देशों के साथ एक ऐतिहासिक और भाषाई जुड़ाव रहा है। लेजर, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में लिथुआनिया भारत का प्रमुख प्रौद्योगिकी सहयोगी बन सकता है। ■

4. भारत–भूटान संबंध

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भूटान की भू-राजनीतिक अवस्थिति, भारत के भूटान के साथ अनूठे संबंध और भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती प्रदान करती है।
2. भारत का दृष्टिकोण हमेशा पड़ोसी हित को लूटने का नहीं, बल्कि पड़ोसी हित की रक्षा करने का है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय भूटान की यात्रा संपन्न हुई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने न केवल भूटान की राजसत्ता से वार्ता की है बल्कि भूटान की नई पीढ़ी को भी संबोधित किया है। भारत का भूटान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहता है। वहां के हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट में भारत का निरंतर सहयोग रहा है, जो भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भूटान एक छोटा-सा पर प्राकृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है। चीन के सामरिक दृष्टिकोण से भी भूटान एक अति महत्वपूर्ण देश है। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान और नेपाल में अपनी धाक को कायम कर रखा है और भारत के हितों को बलि चढ़ा रखा है उसी तरह चीन भूटान में अपनी धाक कायम करना चाहता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

5. शादी की एक समान उम्र

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान नहीं होनी चाहिए।
2. बाल विवाह प्रतिबंधक कानून, 2006 के अनुसार पुरुषों की शादी करने की उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं की शादी करने की उम्र 18 वर्ष है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः पिछले वर्ष विधि आयोग ने कहा, कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए। वयस्कों के बीच शादी की अलग-अलग उम्र की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। बालिग होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। आयोग ने कहा कि जब 18 वर्ष के युवक को अपने देश की सरकार चुनने के लिए परिपक्व माना जा सकता है तो यह भी माना जाना चाहिए कि वह अपनी पत्नी चुनने के लिए भी समझदार है। पति की उम्र पत्नी से अधिक होना घिसी पिटी अवधारणा है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। ■

6. अमेजन वन

प्र. अमेजन वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ये बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर मौजूद हैं।
2. यहाँ का तापमान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
3. अमेजन वर्षा वन समृद्ध जैव-विविधता का भंडार है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20 प्रतिशत ऑक्सीजन का योगदान देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में अमेजन कें जंगलों में लगी आग के बाद से पूरे विश्व में एक बार फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा हावी हो गया है। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। दुनिया को करीब 20 फीसद ऑक्सीजन इसी जंगल से मिलती है। ये जंगल ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में समर्थ हैं। अमेजन जंगल दुनिया के नौ देशों में फैला हुआ है। इनमें कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाइडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

7. अर्थव्यवस्था को गति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग एक इंटर-मिनिस्टियल टास्क फोर्स का गठन कर रहा है।
2. सरकार ने कहा कि वैश्विक विकास दर भी नीचे जा रही है और अब दुनिया की संशोधित विकास दर 3.2 फीसदी है। भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर अभी भी दूसरों से ज्यादा है।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने, कारोबार को आसान करने और उद्योगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच उद्यमियों और स्टार्टअप्स को एक बड़ी राहत देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों पर लागू 'एंजेल टैक्स' का प्रावधान वापस लिया जाता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ जायद' प्रदान किया गया है?

- संयुक्त अरब अमीरात

2. हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में सूअर पालन विकास परियोजना को शुरू करने जा रही है?

- मेघालय

3. हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 'फेडोर' नामक रोबोट को भेजा है?

- रूस

4. हाल ही में किस केन्द्रीय मंत्रालय ने महासागरीय ऊर्जा को हरित ऊर्जा घोषित किया है?

- केन्द्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

5. हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है?

- जापान

6. हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब जीता है?

- पी.वी. सिंधु

7. हाल ही में भारत सरकार ने "सबका विश्वास" योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना को किस उद्देश्य के लिए शुरू किया जाएगा?

- कर विवादों का समाधान

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सुपरबग क्या होता है? इसके निर्माण के कारकों को बताते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए।

2. फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके फायदे और नुकसान की समीक्षा करें।

3. जैव-विविधता क्या है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "मनुष्यों की गतिविधियों के कारण लाखों प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं"? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

4. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या जनसांख्यिकीय लाभांश की खुली अवसर हो सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

5. एक देश-एक राशन कार्ड से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि यह योजना भारत में हाशिये पर स्थित वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? चर्चा करें।

6. वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है ऐसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।

7. मॉब लिंचिंग एक सभ्य व नैतिक समाज के लिये अभिशाप है। टिप्पणी करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. टार्डिग्रेड्स

अप्रैल 2019 में इजराइल के अंतरिक्षयान बेरेशीट (Beresheet) ने चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया, था। लेकिन वह सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस अंतरिक्षयान के साथ टार्डिग्रेड (Tardigrade) नामक जीवित जीव भी भेजे गए थे जिसके जिन्दा बचे होने के संकेत वैज्ञानिको को मिले हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रजाति पृथ्वी पर पायी जाती है। इजरायल के स्पेसक्राफ्ट बेरेशीट को जब चाँद पर भेजा गया तो उसमें एक विशेष तरह के पैकेज का भी प्रयोग किया गया था। इस विशेष पैकेज का नाम ल्यूनर लाइब्रेरी यानी चांद का पुस्तकालय नाम दिया गया।

टार्डिग्रेड क्या है

1773 में एक जर्मन पादरी, जोहान अगस्त एफ्राइम गोएज ने टार्डिग्रेड्स की खोज की थी। यह सूक्ष्म जीव आकार में काफी छोटा होता है पर इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। पानी में रहना वाला ये जीव आकार में 0.05 millimeters से 1.2 mm तक हो सकता है। पर ऐसा देखा गया है कि ये ज्यादातर 1 mm से कम आकार के ही पाये जाते हैं। इसे पानी का भालू भी कहते हैं। यह एक जलीय जीव होता है, लेकिन यह भूमि पर भी निवास कर सकता है। वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया कि यह बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में भी जीवित रह सकता है। वर्ष 2017 में किये गए एक अन्य अध्ययन में बताया गया कि क्षुद्रग्रहों के टकराने, सुपरनोवा विस्फोट और गामा-किरण के प्रभाव जैसी बड़ी घटनाओं के बाद भी पृथ्वी पर इसके जीवित रहने की संभावना है। टार्डिग्रेड अत्यधिक गर्म और ठंडे तापमान को सहन कर सकता है। चन्द्रमा पर तरल रूप में पानी के कोई साक्ष्य नहीं है। केवल वर्फ की संभावना है। तरल पानी के अभाव में संभव है कि टार्डिग्रेड्स अपनी वर्तमानी स्थिति में रहें। ■

2. भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र

हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने और दुनिया के देशों के साथ समुद्री सूचना को साझा करने के लिए भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम स्थित नौसेना के 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में दो दिनों का समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में (आईओआर) हिंद महासागर क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन उभर रही समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगभग 29 देशों के 41 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने भारत पहुंचे थे।

भारतीय नौसेना की दुनिया के देशों के साथ हुई इस बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मानवीय सहायता और आपदा राहत, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी पहलुओं के बारे में विचार विमर्श किया गया है। जहाँ सभी देशों ने अपनी-अपनी बात सामने रखी है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सूचना साझा करने का अभ्यास भी आयोजित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दो दिन चलने वाले वर्कशॉप के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच सूचना तंत्र को और बेहतर बनाने पर बल दिया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि सूचनाओं के त्वरित रूप से कैसे एक दूसरे से साझा किया जाए। नौसेना ने बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समुद्र की रक्षा, विश्व व्यापार और अनेक देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र में गतिविधियों का पैमाना, क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय स्वरूप समुद्री सुरक्षा के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की जरूरत दर्शाता है।

सूचना संलयन केंद्र

हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) का दिसंबर, 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था। ऐसा इस क्षेत्र में समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब तक यह केंद्र 16 से अधिक देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित कर चुका है। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से हिंद महासागर का विशेष महत्व है। ■

3. समुद्री ऊर्जा अब अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में

ज्वार भाटा, तरंगों जैसे समुद्री ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली अब अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में आएगी। बिजली मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में समुद्री ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम से देश में समुद्री ऊर्जा के उपयोग को गति

मिलेगी। फिलहाल देश में समुद्री ऊर्जा की कोई स्थापित क्षमता नहीं है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने जारी बयान में यह जानकारी दी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी संबद्ध पक्षों को स्पष्ट किया है कि ज्वारीय, तरंग, ओसिएन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटीईसी) आदि जैसे समुद्री ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में आएगी।

इसके साथ यह गैर-सौर अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के अंतर्गत आएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। एमएनआरई की वेबसाइट के अनुसार देश में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावित उत्पादन क्षमता करीब 12,455 मेगावाट है। इसके लिये खंभात की खाड़ी और कच्छ जैसे क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। वहीं देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तरंग ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता करीब 40,000 मेगावाट जबकि ओटीईसी की संभावित क्षमता सैद्धांतिक तौर पर 180,000 मेगावाट आंकी गयी है। मंत्रालय के अनुसार ये अनुमान शुरूआती हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार समुद्री ऊर्जा के उपयोग के रास्ते में प्रौद्योगिकी एक समस्या है। ■

4. केंद्र सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों की सेवानिवृत्ति आयु तय की

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अर्द्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों हेतु सेवानिवृत्ति आयु 60 साल तय कर दी है। गृह मंत्रालय का यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी, 2019 में दिए गए फैसले के बाद आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह सभी रैंक के लिए एक सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करे। फैसले से पहले अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु निध रित थी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और असम राइफल्स में लागू होगा।

मौजूदा नीति

मौजूदा नीति के अनुसार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कांस्टेबल से कमांडेंट स्तर के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष है जबकि उनसे उच्च पदस्थ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है।

वर्तमान में पांच प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। इनमें लगभग दस लाख जवान कार्यरत हैं। ये सभी जवान सीमाओं की सुरक्षा से लेकर विभिन्न आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों में तैनात रहते हैं। इस फैसले से उन सभी सेनानी और उनके नीचे के रैंक के कर्मियों जो इस संख्या का 60 प्रतिशत भाग हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

गृह मंत्रालय का आदेश

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग कोर्ट के आदेश और हाल ही में जारी किए गए मंत्रालय के निर्देश के बीच 57 साल में सेवानिवृत्त हुए हैं, वे लोग पेंशन सहित सभी लाभ वापस करके सेवा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए थे और इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त नहीं माना जाएगा और वे 60 साल तक सेवा कर सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रालय ने सभी बलों को निर्देश दिये हैं कि वो अदालत के आदेश का अनुपालन करें और नियमों के प्रावधान में बदलाव करें। ■

5. एफएटीएफ ग्रुप ने पाकिस्तान को किया ब्लैक लिस्ट

टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) ने हाल ही में पाकिस्तान को वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफलता के लिए 'ब्लैकलिस्ट' में डाल दिया है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में दो दिन चली बैठक में किया गया। पाकिस्तान अभी तक एफएटीएफ की 'ग्रे' सूची में शामिल था।

दरअसल, एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) के मानकों को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेरर फाइनेंसिंग के 40 में से 32 पैरामीटर पर पाकिस्तान को अयोग्य पाया। इसके अतिरिक्त टेरर फंडिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के लिए 11 मापदंडों में से 10 को पूरा करने में पाकिस्तान विफल साबित हुआ है।

एफएटीएफ क्या है

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (Financial Action Task Force) एक अन्तरसरकारी संस्था है। यह संस्था काले धन को वैध बनाने (मनी लॉड्रिंग) को रोकने से सम्बन्धित नीतियाँ बनाने हेतु काम करती है। इस संस्था की स्थापना साल 1989 में की गयी थी। इसका कार्यक्षेत्र साल 2001 में विस्तारित किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियाँ बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में है।

पाकिस्तान पर क्या होगा असर

FATF के एशिया-पैसिफिक ग्रुप के इस फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होने वाला है। अब एफएटीएफ स्वयं अक्टूबर में होने वाली अपनी बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के बारे में फैसला लेगा। यदि एफएटीएफ भी एपीजी के फैसले पर अपनी मुहर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए दुनिया में कर्ज पाना और भी मुश्किल हो जाएगा दरअसल एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में बहुत कठिनाई आती है वहीं। विदेशी निवेश पाने में भी इससे बहुत सी मुश्किलें आती हैं। ब्लैकलिस्ट होने से निवेशक निवेश नहीं करते हैं। आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा मुसीबत माना जा रहा है। ■

6. खसरे पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में खसरे का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2019 की पहली छमाही में खसरे के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये गए हैं। वर्ष 2016 के बाद से ही खसरे के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और यूक्रेन में इस वर्ष खसरे के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये गए हैं। हालाँकि मेडागास्कर के स्वास्थ्य मंत्रालय के बेहतर और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम से वहाँ खसरे के मामले पिछले वर्षों की तुलना में कम दर्ज किये गए हैं।

अंगोला, कैमरून, चाड, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, और थाईलैंड में भी खसरे का प्रकोप देखा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 25 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक खसरे के मामले दर्ज किये गए हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप में इस वर्ष के पहले छह महीनों में खसरे के 90,000 मामले दर्ज किये गए जो वर्ष 2018 के पूरे वर्ष के 84,462 दर्ज मामलों से ज्यादा हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो खसरे से तीसरे सबसे पीड़ित देश में शुमार हैं।

क्या है खसरा

खसरे को आमतौर पर छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग होता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से यह बीमारी फैलती है। इसमें निमोनिया, डायरिया व दिमागी बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। चेहरे पर गुलाबी-लाल चकत्ते, तेज बुखार, खांसी, नाक बहना व आंखें लाल होना मर्ज के लक्षण हैं।

गौरतलब है कि खसरे का असरकारी टीका देश में काफी वर्षों से उपलब्ध है। इसके बावजूद खसरा छोटे बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। यह सबसे अधिक संक्रामक बीमारियों में से एक है। इसके वायरस के संपर्क में आने से कई गैर-प्रतिरक्षक बच्चे इस श्वसन संबंधी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। खसरा पैरामाइक्सोवाइरस परिवार के एक वायरस के कारण एक तेजी से फैलने वाली घातक बीमारी है।

उल्लेखनीय है कि भारत में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme &UIP) के तहत खसरे का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से भी खसरा उन्मूलन के प्रयास किये जा रहे हैं। दिसंबर, 2014 में मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इस दिशा में तीव्र मिशन इंद्रधनुष' सरकार की अगली कड़ी है। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में की गई। इस मिशन के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सका था। ■

7. महाराष्ट्र में सुपर 50 कार्यक्रम

हाल ही में महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग ने पेस एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से एक शैक्षणिक कार्यक्रम "सुपर 50" लॉन्च किया। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के इच्छुक युवा आदिवासी छात्रों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।

सुपर 50 कार्यक्रम राज्य के 50 सबसे मेधावी आदिवासी छात्रों का उल्लेख करेगा और उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा के लिए तैयार करेगा। यह दो साल का आवासीय कार्यक्रम होगा, जहाँ छात्रों को हॉस्टल और मेस की सुविधा, टैबलेट, एनसीईआरटी की किताबें और करियर काउंसलिंग प्रदान की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि यह कार्यक्रम पटना के आनंद कुमार और उनके सुपर 30 (Super 30) के कार्य से प्रेरित है, जो IIT की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिये पिछड़े क्षेत्र के मेधावीछात्रों को तैयार करते हैं।

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, पेस अकादमी ने उन आदिवासी छात्रों के लिये परियोजना का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने अपनी दसवीं कक्षा की परीक्षाएँ पास कर ली हैं। जनजातीय विकास विभाग ने इसके मूल्यांकन हेतु एक कार्य समिति का गठन किया और केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विभाग ने 28 जून को प्रवेश परीक्षा का पहला दौर तथा 14 जुलाई को दूसरा दौर आयोजित किया गया।

मूल्यांकन के बाद 34 छात्रों को इंजीनियरिंग कोर्स के लिये और 16 को मेडिकल कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये चुना गया। सभी चयनित छात्र सरकार द्वारा संचालित आदिवासी आश्रम स्कूल, एकलव्य आवासीय विद्यालय आदि से हैं। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. विश्व युवा सम्मेलन

- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने हाल ही में नई दिल्ली में दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन का उद्‌घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी को एक महान और दूरदर्शी जननायक बताया।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांधीजी को किसी भी युग में जब हम रखते हैं तो पाते हैं कि वे सभी युगों के लिए प्रासंगिक हैं और यह बात वर्तमान समय में भी सत्य है। गांधीजी हमारी वर्तमान चिंताओं जैसे शांति और सद्‌भावना की आवश्यकता, आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रासंगिक है।
- आज पूरे विश्व में जो हिंसा और विद्रोह की घटनाएं हो रही हैं उनमें अधिकांश पूर्वाग्रह पर आधारित है। ये हमें दुनिया को 'हम लोग बनाम वे लोग' के आधार पर दुनिया को देखने के लिए बाध्य करती हैं।
- गांधीजी के आदर्शों का पालन करते हुए हमें और हमारे बच्चों को 'उन लोगों' के साथ बातचीत करने और घुलने-मिलने का प्रयास करना चाहिए, जो उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। परस्पर बातचीत से हमारी समझ बेहतर होती है और इससे हमें पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली की संरचना और इसके लक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षा को साक्षरता से आगे ले जाने की भी जरूरत है।
- शिक्षा से छात्रों को अपने अंदर झांकने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनकी आंतरिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ताकि वे दूसरों के कष्टों को समझ सकें। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जो छात्रों में वर्ग और वर्ण के विभेद को समाप्त कर सके।
- विश्व को दयालु, संवेदनशील और शांतिपूर्ण बनाने में पूरी दुनिया के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में भाग ले रहे युवा अपने पूरे जीवन में दयालुता के दूत के रूप में कार्य करते रहेंगे।
- सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में सहानुभूति, सद्‌भावना और जागरूकता की भावना जागृत करना है ताकि वे अपने आप में परिवर्तन कर सकें और अपने समुदायों में स्थायी शांति का माहौल बना सकें।

2. जल प्रबंधन सूचकांक 2.0

- जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए, नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) का दूसरा संस्करण तैयार किया है।
- भारत के विकास और पर्यावरण प्रणाली को बनाये रखने के लिए जल के वैज्ञानिक प्रबंधन की तेजी से आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार जल प्रबंधन को लेकर अति सक्रिय है और उसने जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नवगठित जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान की शुरूआत करके जल चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है।
- गौरतलब है कि नीति आयोग ने सबसे पहले राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना पैदा करने के लिए एक साधन के रूप में 2018 में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक की शुरूआत की।
- सीडब्ल्यूएमआई 2.0 ने आधार वर्ष 2016-17 के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न राज्यों को स्थान प्रदान किया गया है। जारी रिपोर्ट में गुजरात ने संदर्भ वर्ष (2017-18) में अपना पहला स्थान रखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश 2017-18 में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम का स्थान है।

- संघ शासित प्रदेशों ने पहली बार अपने आंकड़े दिये हैं जिसमें पुदुचेरी शीर्ष स्थान पर रहा है। सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के मामले में हरियाणा सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर और उत्तराखंड पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर रहा है।
- औसतन 80 प्रतिशत राज्यों ने पिछले तीन वर्षों में सूचकांक पर आकलन किया और अपने जल प्रबंधन स्कोर में सुधार किया, जिसमें औसत सुधार 5.2 प्वाइंट रहा।

3. चावल पोषण संवर्द्धन पायलट योजना

- हाल ही में संवर्द्धन सरकार नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने चावल पोषण संवर्द्धन पायलट योजना के बारे में से विचार-विमर्श किया।
- बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत में कुपोषण की समस्या का सामना करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को पूरे देश के लिए चावल पोषण संवर्द्धन पायलट योजना का रोडमैप तैयार करना चाहिए। इसके लिए सभी राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।

चावल पोषण संवर्द्धन क्या है?

- चावल में पोषक तत्त्वों का समावेश किया जाना है चावल संवर्द्धन कहलाता है।
- इसके द्वारा चावल में उच्च मात्रा में पोषक तत्त्वों का समावेश कर दिया जाता है ताकि कुपोषण से मुक्ति मिल सके।
- गोल्डन राइस की अवधारणा इसी का उदाहरण है। यह जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ मामला है।

भारत में कुपोषण की स्थिति

- भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की नवीनतम रिपोर्ट खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019' में भारत के एक बड़े हिस्से में बाल भुखमरी और कुपोषण की स्थिति को उजागर किया गया हैं।
- भूख और कुपोषण की शिकार महिलाओं के बच्चे स्टंटिंग व अल्प वजन के अधिक शिकार होते हैं। दुनिया के 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चे भारत में हैं। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 के अनुसार 51 फीसदी महिलाएँ एनीमिक हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 एनएफएचएस-4 के आंकड़ों पर किए गए विश्लेषण के अनुसार 6 से 23 महीने की आयु के 10 भारतीय शिशुओं में से केवल 1 को पर्याप्त आहार मिलता है।
- गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों को अनुपात वर्ष 2005-06 के 48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 38.4 प्रतिशत हो गया है। इसी दौरान अल्प वजन के शिकार बच्चों का प्रतिशत 42.5 प्रतिशत से घटकर 35.7 प्रतिशत हो गया।
- साथ ही शिशुओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की स्थिति 695 प्रतिशत रह गई किंतु इसे अत्यंत सीमित प्रगति ही मान सकते हैं।
- वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 119 देशों में 103वां स्थान रखता है।

4. सरल सूचकांक

- हाल ही में केंद्र ने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विस्तार और इस क्षेत्र में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के इरादे से छत की सौर परियोजनाओं के लिये प्रोत्साहन और प्रगति को लेकर यह सूचकांक शुरू किया है।
- उल्लेखनीय है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा है।
- इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 1,00,000 मेगावाट है जिसमें 40,000 मेगावाट ऊर्जा ग्रिड से जुड़ी छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं से आने की उम्मीद है।
- बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों के साथ समीक्षा, योजना और निगरानी बैठक के दौरान सरल (स्टेट रूफटॉप सोलर एट्रैक्टिवनेस इंडेक्स) सूचकांक जारी करते हुए संवाददाताओं से कहा, ''इस पहल का मकसद बेहतर गतिविधियों को सभी राज्यों को लागू करने के लिये प्रेरित करना है ताकि छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं में तेजी लायी जा सके।''
- मंत्रालय के अनुसार छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं के लक्ष्य को हासिल करने के लिये अनुकूल परिवेश बनाना जरूरी है। जिसमें जरूरी जानकारी, वित्त तक आसान पहुंच और बाजार के मामले में चीजें बिल्कुल साफ हों।
- यह सूचकांक इस बात का आकलन करता है कि छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं के विकास के लिये राज्य कितने आकर्षक हैं। एमएनआरई, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, उद्योग मंडल एसोचैम और ईवाई ने संयुक्त रूप से नीतिगत व्यवस्था की मजबूती, क्रियान्वयन माहौल, निवेश परिवेश, उपभोक्ताओं का अनुभव और कारोबार माहौल के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया है। रैंकिंग में कर्नाटक 78.8 अंक के साथ पहले स्थान पर है।

- वहीं तेलंगाना 72.2 अंक, गुजरात 67.9 अंक और आंध्र प्रदेश 66.1 अंक के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। रैंकिंग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब क्रमशः पांचवें, छठे, सातवें और आठवें उत्तर प्रदेश 20वें तथा बिहार 25वें स्थान पर है। सूची में जम्मू कश्मीर सबसे नीचे 31वें पायदान पर है।
- विदित हो कि देश में छतों पर लगने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये अनुकूल नीतियों, क्रियान्वयन माहौल, निवेश परिवेश जैसे तत्वों के आधार पर सूचकांक को तैयार किया गया है

5. राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला

- हाल ही में डॉ. हर्षवर्द्धन ने एफएसएसएआई की अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तथा सुरक्षित और पुष्टिकर भोजन के लिए कानूनों के कार्यान्वयन और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने दिया।
- समारोह में "भारत में खाद्य प्रयोगशालाएँ: एक मेटा अध्ययन" पर एक रिपोर्ट भी जारी किया गया और 13 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधि नियम के लागू होने के बाद से खाद्य प्राधिकरण की 13 वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस बात पर बल दिया गया कि स्वास्थ्य किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन गया है।
- इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश में स्थापित और एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अब एक नेटवर्क है। वर्ष 2014 के दौरान इस तरह की 138 प्रयोगशालाएँ थीं जो अब बढ़कर 261 हो गई हैं।
- गौरतलब है कि इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कई गरीब समर्थक नीतियां और योजनाएं आरंभ की गई और हर क्षेत्र में इसके स्पष्ट और गौर करने योग्य परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- आयुष्मान भारत योजना पिछले साल लॉन्च होने के बाद से लाखों लोगों को लाभान्वित कर रही है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि अस्पताल में भर्ती होने के भारी खर्च के कारण लोग गरीबी रेखा से नीचे न चले जाएँ।
- वर्ष 2022 तक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती केन्द्रों की स्थापना के साथ, देश में हर दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुचने कि योजना है । इसी तरह, सरकार देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
- गौरतलब है कि नए एम्स की घोषणा के साथ एम्स की कुल संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। रैपिड किट और परीक्षणों को मंजूरी देने के लिए एक प्रणाली के संचालन की पहल के लिए एफएसएसएआई सशक्त हुई है।
- विदित हो कि एफएसएसएआई आगामी समय में बच्चों को सुरक्षित भोजन की अवधारणा के बारे में शिक्षित करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उपकरण के रूप में काम करेगा।
- इस अवसर पर, डॉ. हर्षवर्द्धन ने उत्तर प्रदेश राज्य को गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी में खाद्य परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) वैन" भी प्रस्तुत किया।
- इन चलते खाद्य-परीक्षण वाहनों का उपयोग प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण गतिविधियों के लिए भी किया जाएगा। निकट भविष्य में ऐसे 500 खाद्य सुरक्षा और परीक्षण वैन होंगे जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता करने के लिए उपलब्ध होंगे।

6. राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति

- प्राकृतिक संसाधन किसी भी आर्थिक विकास का आधार होता है। 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ भारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है।
- विदित हो कि भारत में वर्ष 1970 में जहाँ 7 बिलियन टन की सामान खपत होती थी,वहीं वर्ष 2015 में यह छह गुना बढ़कर 1.18 बिलियन टन के स्तर पर पहुंची।
- सामान की खपत, बढ़ती हुई जनसंख्या,तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती हुई आकांक्षाओ के चलते इसके और बढने की उम्मीद है।
- संसाधन क्षमता में वृद्धि और अतिरिक्त कच्चे सामान के प्रयोग में वृद्धि, संसाधन बाधा और पर्यावरण के प्रति देखभाल संबंधी भविष्य की समस्याओं का निवारण करेगा।
- पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 25 जून,2019 को राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का मसौदे जारी कर सार्वजनिक और निजी संगठनों,विशेषज्ञों और नागरिकों सहित सभी भागीदारों से टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित किए थे।
- राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति के मसौदे(एनआरईपी) में पर्यावरणीय वहनीय और समान आर्थिक वृद्धि, संसाधन सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण (वायु, जल और भूमि) तथा समृद्ध पर्यावरण और जैवविविधिता के साथ पुनः स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य की परिकल्पना की गई है।

- राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का मसौदा (i) दीर्घकालीन विकास लक्ष्य और भूमंडलीय सीमा तक रहने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहनीय स्तर तक प्राथमिक संसाधनो की खपत में कमी (ii) संसाधन क्षमता और चक्रकार दृष्टिकोण द्वारा कम सामान से अधिक मूल्य की वस्तु बनाना (iii) अपशिष्ट को कम करना (iv) सामान सुरक्षा और रोजगार अवसरो को सृजन और पर्यावरण रक्षण और संरक्षण के हित हेतु लाभदायक व्यापार मॉडल की नीतियो से दिशा निर्देशित है।

7. भारतीय रेलवे में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध

- प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिये गये अपने भाषण में 02 अक्टूबर, 2019 से देश में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आह्वान को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए पहल करते हुए एक बार फिर इस दिशा में अगुवाई की है।
- भारतीय रेलवे के वेंडरों और कर्मचारियों को पुनः उपयोग में लाये जाने वाले बैग का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को 02 अक्टूबर, 2019 से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
- प्लास्टिक के कचरे के सृजन को न्यूनतम स्तर पर लाने और इसके पर्यावरण अनुकूल निपटारे की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस संबध में रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर निम्नलिखित निर्देशों को 02 अक्टूबर, 2019 से लागू करने की बात कही है-
- एकल या एकबारगी उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- सभी रेलवे वेंडरों को प्लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचना होगा।
- कर्मचारियों को प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कम करना चाहिए, प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइक्लिंग कर इसका फिर से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ ही फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले सस्ते बैगों का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्लास्टिक के स्टॉक में कमी आ सके।
- आईआरसीटीसी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के हिस्सा के रूप में प्लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को लौटाने की व्यवस्था लागू करेगा।
- प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह तोड़ देने वाली मशीनें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इन निर्देशों पर कड़ाई से पालन 02 अक्टूबर, 2019 से किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित लोगों को 'प्लास्टिक मुक्त भारत' सुनिश्चित करने हेतु पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसके अलावा रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वाले (यूजर) के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी उपाय अपनाए जाएंगे।

OOO

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. संविधान की प्रस्तावना

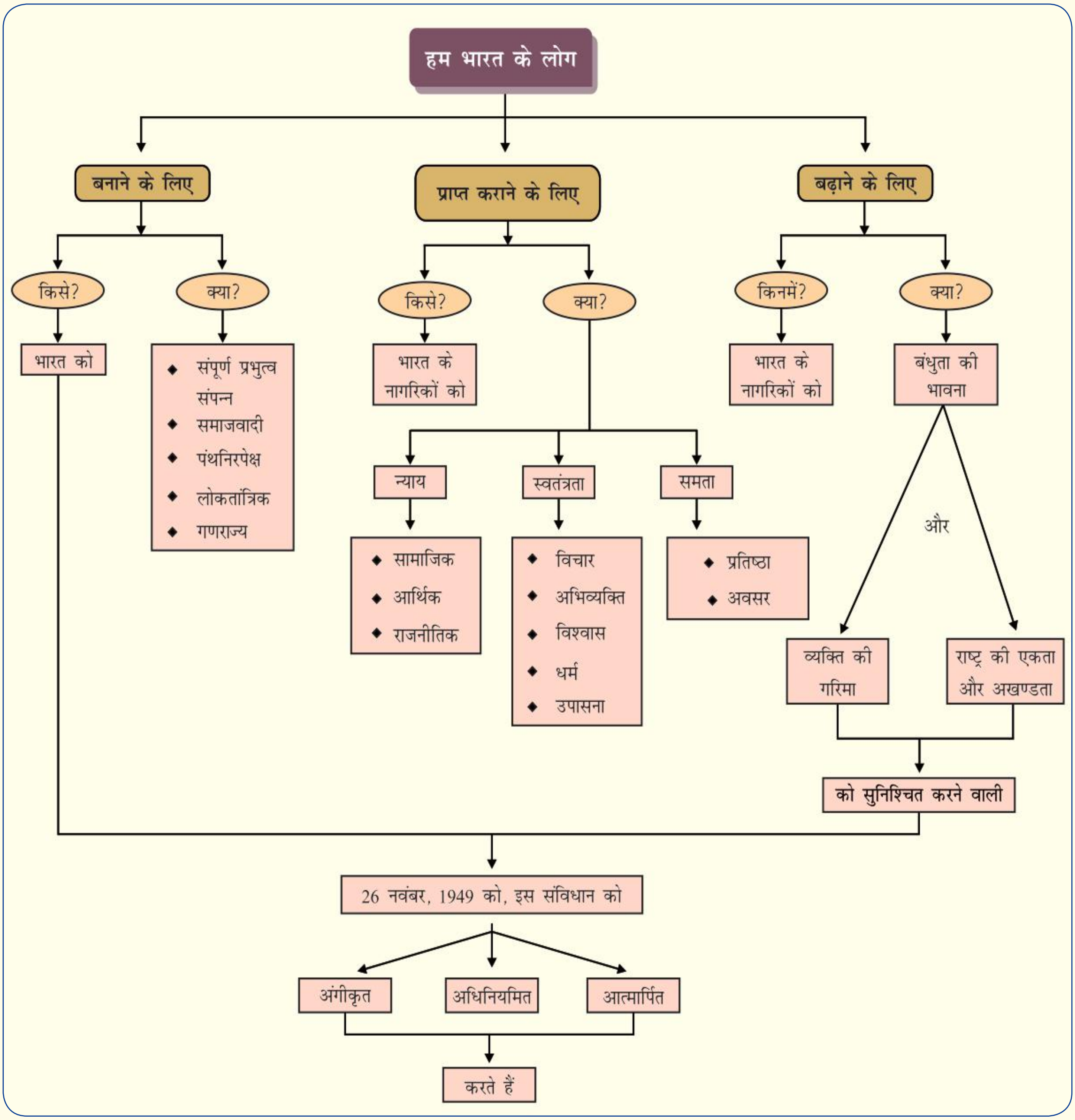

2. भारतीय संविधान की विशेषताएँ

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग हैं।
- भारत के संविधान में अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया गया है।
- भारतीय संविधान न तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला है।
- भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
- भारत का संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि सरकार के सभी अंग (कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका) इसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं।
- भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि संविधान में संसदीय सम्प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है।

3. भारत में संघात्मक संविधान के लक्षण

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया 'राज्यों का एक संघ' होगा।
- इसके दो अभिप्राय है, पहला- भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा- किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- भारतीय संविधान में इंग्लैण्ड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यह प्रणाली केन्द्र तथा राज्य दोनों में समान है।
- भारत में संविधान सर्वोपरि है। इसका अर्थ है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है।
- इसके विपरीत ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है अर्थात संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है।
- संविधान ने सरकार के तीनों अंगों- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भिन्न-भिन्न एवं स्वतंत्र भूमिकाएँ प्रदान की हैं।

4. भारत में एकात्मक संविधान के लक्षण

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र है।
- भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तरह देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अर्थात् कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं।
- भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नियत किया गया है।
- भारतीय संविधान में अपातकालीन प्रावधान केन्द्र सरकार के अधीन रखा गया है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देती है।
- भारतीय संविधान में संसद को नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति प्रदान की गई है।

5. मूल अधिकार

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकार वार्णित हैं।
- मूल संविधान में कुल सात मौलिक अधिकार थे, किन्तु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है।
- संविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति सीधे अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।
- मूल अधिकार असीमित नहीं हैं अर्थात् राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंद्ध तार्किक है या नहीं इसका फैसला न्यायालय करता है।
- राष्ट्रीय अपातकाल के दौरान (अनुच्छेद-20-21 को छोड़कर) इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है।
- संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।

6. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

समाजवादी सिद्धांत

- अनुच्छेद 38: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा
- अनुच्छेद 39क : समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
- अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
- अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
- अनुच्छेद 43: सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि
- अनुच्छेद 43क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
- अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य।

गांधीवादी सिद्धांत

- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
- अनुच्छेद 43: ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन।
- अनुच्छेद 43 ख: सहकारी समितियों का उन्नयन
- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
- अनुच्छेद 47: स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, शराब, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध।
- अनुच्छेद 48: गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बली पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन।

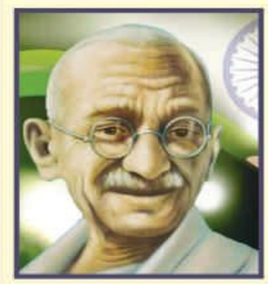

उदार बौद्धिक सिद्धांत

- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
- अनुच्छेद 45: सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना।
- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन
- अनुच्छेद 48क: पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
- अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकरण।
- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

7. मूल कर्त्तव्य

अनुच्छेद 51क के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
- भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
- देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्द्धन करें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें।
- छ: वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना (86वाँ संविधान संशोधन, 2002)

Books & Magazines of DHYEYA IAS

Classroom Study Material

A comprehensive in-depth study material which complements classroom teaching and guidance. From basic level to an advanced learner, it caters to all needs of the aspirants.

& Many more...

Sprinter (Questions & Answers for Mains)

In this series we have covered previous years' questions of UPSC with compact model answers. We have also covered those important questions which are most probable for upcoming exams.

Weekly Magazines

Build your knowledge every week and keep in touch with the world around you and everything that is important for the examination. With the smart preparation approach, it covers complex issues in easy and concise manner.

Yearly Magazines

Yearly topic-wise compilation of important current issues. Exclusively designed to cover UPSC examination cycle. A smart and time saving way for the aspirants.

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR- 8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

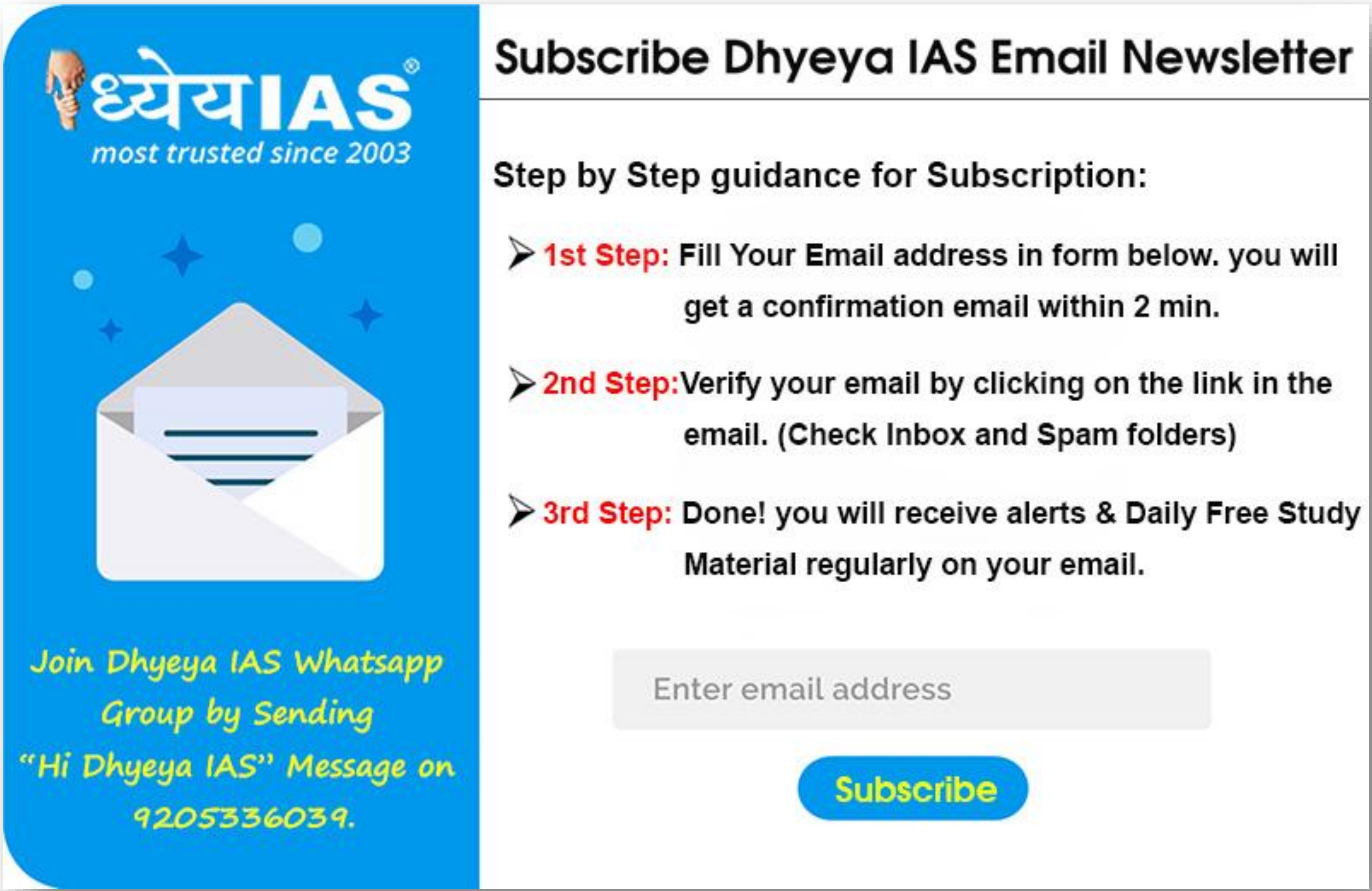

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400